Annexure-31

ग्राम पंचायत–सरावन, विकासखण्ड–माधौगढ़, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–25.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद–जालौन विकासखण्ड–माधौगढ़ के ग्राम पंचायत–सरावन में स्थित नवीन अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1– श्री रमेश चन्द्र शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, माधौगढ़
2– डॉ0 अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
3– श्री दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0)
4– श्री महावीर शरण गुप्ता, ए0डी0ओ0, पंचायत
5– डॉ0 डी0 सी0 भास्कर, पशु चिकित्सा अधिकारी, सरावन
6– श्री पवन कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, सरावन
7– श्री कृष्ण कुमार, प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान (श्रीमती वन्दना देवी ग्राम प्रधान, सरावन)
8– श्री अरविन्द, गोपालक
9– श्री मानिक चन्द्र, गोपालक
10– श्रीमती सुनीता, गोपालक
11– श्री श्यामजी, गोपालक
12– श्री रामजी, गोपालक
13– श्री नाथू, गोपालक
14– श्री श्यामू, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2022 से संचालित होना सूचित किया गया। इसे स्थापित करने के लिये ग्राम पंचायत से भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 05 बीघा है। परिसर के चारों ओर तारों का घिराव है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आसपास आबादी/विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। वर्तमान में 07 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 7000/– प्रतिमाह (230/–प्रतिदिन) है। वर्तमान में इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 89 नर, 229 मादा व 10 बछड़े/बछिया, कुल 328 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। कोई भी गोवंश स्वयं सेवी गोपालकों को पशुपालन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका का रख रखाव माह अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है, जिसके अनुसार माह अप्रैल, 2023 से अब तक 03 गोवंशो (दिनांक–14.04.2023 को टैग नंबर–190188152586, दिनांक–05.06.2023 को टैग नंबर–102364281605 व दिनांक–04.09.2023 को टैग नंबर–102364287890) की मृत्यु का होना बताया गया, जिसका पंचनामा प्रस्तुत किया गया। पंचनामें में सिर्फ 03 लोगों के हस्ताक्षर पाए गए, जो कि कार्यरत गोपालकों के है।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में दिनांक–10.09.2023 को जनपद में अर्थात कमेटी द्वारा निरीक्षण प्रारम्भ किये जाने के पश्चात, सभी 328 गोवंशों की टैगिंग दर्शायी गयी है परंतु तात्कालिक गणना के अनुसार, 298 गोवंशों में टैगिंग पायी गयी है। पूर्व में टैग किए गए गोवंशों की टैगिंग का विवरण टैगिंग पंजिका में दर्ज नहीं पाया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि यह पंजिका तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार की गयी है। इस पंजिका में समस्त प्रविष्टियां एक ही समय में तथा एक ही हस्तलिपि में लिखित हैं, जिसका पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई उचित उत्तर नहीं दिया जा सका। टीकाकरण पंजिका के अनुसार, दिनांक–28.06.2023 को एच0एस0 टीकाकरण, दिनांक–08.09.2023 को डी–वार्मिंग तथा दिनांक–14.09.2023 को एल0एस0डी0 होना पाया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षा है कि मानकों के अनुसार गोवंश का उपचार एवं टीकाकरण करें। जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई असर न हो।
3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 03 टिन–शेड (दो: प्रत्येक 30.48 मी0 × 4.57 मी0 व एक: 12.19 मी0 × 8.22 मी0) बने हैं, जिनमे पडंजा बिछा है। एक चरनी (8.22 मी0 × 1.52 मी0) टिन–शेड के नीचे व 02 चरनी (30.48 मी0 × 4.57 मी0 व 8.22 मी0 × 1.29 मी0) खुले मैदान में, कुल 03 चरनी परिसर मे

स्थित है, जिससे गोवंशों द्वारा दोनों तरफ से चारा खाया जा सकता है। बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंश के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था नहीं है। टिन–शेड के बगल में मूत्र व अपशिष्ट जल निकासी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। टिन–शेड तथा परिसर की साफ सफाई ठीक है। यदि गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारित करने से इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा।

4. गोवंशों के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है तथा एक पक्की हौज (5.18 मी0 × 2.13 मी0) बनी है। जल के निस्तारण के लिये कोई नाली नहीं बनी है, जिससे जल प्रदषूण की समस्या लगातार बनी हुई है। बताया गया कि गोवंशों को 01 माह के अन्तराल पर नहलाया जाता है।

5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 06 कम्पोस्ट पिट (प्रत्येक 4.05 मी0 × 3.04 मी0) का कार्य निर्माणधीन है, जिसे अभी उपयोग में नहीं लाया गया है तथा पिछले कुछ समय से गोबर खुले में एकत्र किया जा रहा है। बताया गया कि परिसर में एम0 आर0 एफ0 की व्यवस्था की जा रही है। परिसर में कोई कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस प्लांट एवं गोबर के रख–रखाव की कोई अन्य व्यवस्था उपलब्ध नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक–02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। गोवंश–आश्रय–स्थल की आय में वृद्धि के लिए कम्पोस्टिंग के लिये गढडे बनाकर गोबर एवं मूत्र व अपशिष्ट जल की नाली उससे जोड़कर कम्पोस्टिंग की जा सकती है, जिससे तैयार खाद की ग्राहता स्थानीय लोगों में अधिक होगी। इस दिशा में कोई प्रयास भी नहीं किया गया है।

6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण पोषण किया जाता है। निरीक्षण के समय अधिकांश गोवंश स्वस्थ दिखे परंतु कुछ दुर्बल दिखे। बताया गया कि गोवंशों को प्रतिदिन समुचित आहार दिया जाता है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक भूसा भण्डारण कक्ष (30.48 मी0 × 4.57 मी0) है, जिसमें लगभग 60 कुंतल भूसा उपलब्ध पाया गया। भूसे का क्रय 'शिवा भवानी ट्रैडर्स' से रू0 825/– प्रति कुंतल की दर से लिया जाता है। हरे चारे व चोकर की भी व्यवस्था उपलब्ध है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत भूसा पंजिका का रख रखाव माह अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है तथा इसमें उल्लिखित अन्तिम प्रविष्टि दिनांक–24.09.2023 की है। भूसा पंजिका के अनुसार, दिनांक–24.09.2023 को कुल 85.76 कुंतल भूसा दर्ज पाया गया, जिसमें से दिनांक–25.09.2023 को 1,312 कि0ग्रा0 (4 कि0ग्रा0 प्रति गोवंश की दर से) खिलाया गया तथा 59.52 कुंतल भूसा शेष पाया गया। निरीक्षण के समय न तो नैपियर घास के विषय में सूचित किया गया और न ही आस पास कहीं भी नैपियर घास पायी गयी। गोवंश–आश्रय–स्थल पर चारा काटने की मशीन तथा ढुलाई के लिए ढेले आदि की व्यवस्था नहीं है।

7. ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कैश बुक पंजिका का रख–रखाव माह अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है, जिसके अनुसार दिनांक–18.09.2023 रू0 1,52,520/– की प्राप्ति हुई है, जिसका चेक दूसरे के मद में होना बताया गया है लेकिन रसीद व किए गए व्यय का ब्योरा मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया कि रसीद लेने के लिए समय नहीं था। खाताबही पंजिका के अनुसार, दिनांक–23.08.2023 को रू0 2,97,000/– का भूगतान भूसा क्रय से संबंध में शिवा ट्रैडर्स को किया गया है, जिस पर ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर अंकित है तथा उपरोक्त दिनांक के पश्चात आय–व्यय की कोई प्रविष्टि पंजिका में दर्ज नही है। सुपुर्दगीकरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। यदि उचित प्रारूप में उपरोक्त पंजिकाओं का रख रखाव किया जाये, तो व्यवस्थित तरीके से बेहतर प्रबन्धन किया जा सकता है।

8. निरीक्षण पंजिका के अनुसार, माह दिसम्बर, 2022 से अब तक कई निरीक्षण किए जा चुके है तथा दिए गए सुझाव निरीक्षण पंजिका में अंकित है, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए है। निरीक्षण पंजिका गोवंश–आश्रय–स्थल पर कार्यरत गोपालको के लिए मार्गदर्शक सिद्व हो सकती है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित किया जाना चाहिए, तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं, अन्यथा इसका आशय ही विफल हो जायेगा।

9. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 08–09 ट्री–गार्ड लगे पाए गए। परंतु उनमें हाल ही पेड़ लगाये गये है, जो ट्री–गार्ड के बाहर दिख नहीं रहे है। गोवंश–आश्रय–स्थल के आकार को देखते हुये यह वृक्षारोपण

न के बराबर है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जिसमें तत्कालिक रूप से वृक्षारोपण किया जाना चाहिए तथा परिसर की स्थिति को सुधारा जाना चाहिए, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी होगा। परिसर के रोशनी की कोई व्यवस्था नही पाई गई।

10. अन्ततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल का रख–रखाव अन्य की अपेक्षा व्यवस्थित व संतोषजनक है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–सरावन, विकासखण्ड–माधौगढ़, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

नगर पंचायत–माधौगढ़, जनपद-जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–25.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद–जालौन, नगर पंचायत–माधौगढ़ स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1–श्री रमेश चन्द्र शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, माधौगढ़
2– डॉ0 अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
3– श्री दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0)
4– श्री अरूण कुमार, ए0एस0ओ0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5– डॉ0 डी0सी0 भास्कर, पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर पंचायत–माधौगढ़
6– श्री अमित नायक, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत–माधौगढ़
7– श्री छुटकन, गोपालक
8– श्री पूरन, गोपालक
9– श्री मिथुन, गोपालक
10– श्री मिथुन कुमार, गोपालक
11– श्री चन्द्रभान, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2019 से संचालित होना सूचित किया गया, इसे स्थापित करने के लियें भूमि जिला पंचायत से उपलब्ध कराई गयी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 800 वर्ग मीटर खुले में एवं 647 वर्ग मीटर आच्छादित है। बताया गया कि यह गोवंश–आश्रय–स्थल पूर्व में स्थित चीनी मिल के स्थान पर बनाया गया है, जिसके आच्छादित परिसर में पंड़जा बिछा है। निचली भूमि होने के कारण यहॉ जलभराव की समस्या हमेशा रहती है। परिसर के अंदर एक तरफ जलभराव तथा दूसरी तरफ गोबर का जमाव पाया गया, जिससे गोवंशो द्वारा बडी ही मुश्किलों से आवागमन किया जाता है, जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अधिकांश गोवंश कीचडयुक्त गोबर में विचरण करते पाये गये। यह गोवंश–आश्रय–स्थल आबादीयुक्त इलाके में स्थित है, परन्तु आस–पास कोई विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल को तीन ओर से तारों से घेरा गया है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। वर्तमान में 05 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 8800/– प्रतिमाह है। गोवंश पंजिका के अनुसार, वर्तमान में 39 नर व 90 मादा, कुल 129 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। 10 गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन हेतु उपलब्ध कराये गये है। अधिशासी अधिकारी द्वारा गोवंश पंजिका का रखरखाव माह जून, 2023 से किया जा रहा है। बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में 07 गोवंशों की मृत्यु हुई है तथा पंचनामा दिनांक 25.02.2023, 12.03.2023, 21.03.2023, 09.05.2023, 11.05.2023, 29.05.2023 व 07.07.2023 प्रस्तुत किया गया, जिससे गोवंश की मृत्यु होने की पुष्टि होती है।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020 में सभी गोवंशों की टैगिंग की जा चुकी है, किन्तु मौके पर किसी भी गोवंश पर न तो टैगिंग और न ही कान में छेद पाया गया। टैगिंग पंजिका भी प्रस्तुत नही की गयी जिससे प्रतीत होता है कि यह पंजिका बनाई ही नही गयी है । उपस्थित सहायकों द्वारा कहा गया कि पशु चिकित्सा अधिकारी को पूर्व में सूचना दी गयी, परन्तु वह कभी टैगिंग करने के लिये नहीं आये, जिसका पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका, इसके दो ही अर्थ हो सकते है कि या तो टैगिंग वाले सभी गोवंश मृत हो चुके है और उनके स्थान पर नये गोवंश लाये गये है, जिनमें टैगिंग ही नही है अथवा इन पंजिकाओं को केवल निरीक्षण की सूचना पर खानापूर्ति के लिए तैयार किया गया है। टीकाकरण पंजिका के अनुसार, दिनांक 22.07.2023 को एच0एस0 टीकाकरण व दिनांक 01.09.2023 को एल0एस0डी0 टीकाकरण होना बताया गया है, परन्तु टीकाकरण पंजिका नियमानुसार तैयार नही पायी गयी, जिनमें प्रविष्टियां अधूरी व त्रुटिपूर्ण है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पंजिका निरीक्षण से तत्काल पूर्व बनाने का प्रयास किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा टैगिंग पंजिका व टीकाकरण पंजिका मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, जिसमे गोवंशों का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां उचित प्रारूप में व नियमानुसार हो।
3. चूकि यह गोवंश–आश्रय–स्थल पूर्व के चीनी मिल के भवन में स्थापित किया गया, इसलिए इसका शेड पूर्णतया आच्छादित है, जिससे गोवंशो के सर्दी व गर्मी के मौसम से बचाव के लिए उचित

व्यवस्था है । इसमे किसी पृथक टिन–शेड की आवश्यकता नही है। गोवंशो के खाने के लिए एक चरनी (15 मी0 X 1.80 मी0) स्थित है जिससे गोवंशों द्वारा दोनो तरफ से चारा खाया जा सकता है तथा दीवार से सटी दो चरनी (6.80 मी0 X 1.5 मी0 व 9.55 मी0 X 1.20 मी0) परिसर में स्थित है, जिससे एक तरफ से चारा खाया जा सकता है। बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंश के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था है। परिसर में मूत्र व अपशिष्ट जल निकासी व सोकपिट की कोई व्यवस्था उपलब्ध नही पाई गईं। मौके पर गोवंशों का स्वास्थ्य साधारण पाया गया । यदि आच्छादित परिसर के किनारे एवं खुले मे गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारित किया जाये, तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा।

4. गोवंश के पेयजल आपूर्ति के लिये एक पक्की हौज (9.3 मी0 X 3.4 मी0) बनी है तथा जल की व्यवस्था न होने पर नगर निगम से पानी की टंकी मंगायी जाती है । परिसर के बाहर खुले मे एक पक्की हौज बनी हुई है, जिसमे साफ जल भरा है । अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी गोवंशों को एक माह के अन्तराल पर नहलाया जाता है।
5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 कम्पोस्ट पिट (प्रत्येक 4.5 मी0 X 1.60 मी0) स्थित है, परन्तु पिछले कुछ समय से गोबर खुले में मुख्य गेट के बाहर रखा जा रहा है, जो कि नियम के विरूद्व है। कोई कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र तथा गोबर एवं मूत्र के अन्य उपयोग की कोई व्यवस्था नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक- 02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल की आय वृद्वि के लिए परिसर में कम्पोस्टिंग के लिये गड्ढे बनाकर उसमें गोबर एवं मूत्र डालकर कम्पोस्ट खाद तैयार की जा सकती है। किन्तु इस दिशा में कोई भी प्रयास नही किया गया है।
6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण-पोषण किया जाता है। निरीक्षण के समय अधिकांश गोवंश स्वस्थ पाये गये। इस गोवंश आश्रय स्थल में एक भूसा भण्डारण कक्ष (11.90 मी0 X 5.80 मी0) है, जिसमे लगभग 40 कुन्तल भूसे का होना बताया गया है, जो आच्छादित परिसर मे स्थित है। भूसा पंजिका प्रस्तुत की गई, जो माह जून, 2023 से बनायी गयी है, जिसमें अंकित दिनांक 24.09.2023 के अनुसार, सभी 129 गोवंशों को 08 कुन्तल भूसा/हरा चारा दिया जाता है तथा 32 कुन्तल शेष पाया गया। अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ भूसे व हरे चारे का ग्रामीणो द्वारा दान दिया जाता है, जिसकी प्रविष्टि भूसा पंजिका में दर्ज है। नैपियर घास की बुआई की कोई सूचना नही दी गयी और न ही आस–पास कहीं भी नैपियर घास पायी गयी। इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर चारा काटने की मशीन और ढुलाई के लिए ठेले आदि की व्यवस्था उपलब्ध है।
7. अधिशासी अधिकारी द्वारा लेखा पंजिका व कैश बुक पंजिका का रख–रखाव व्यवस्थित पाया गया परन्तु कुछ प्रविष्टियां अधूरी व त्रुटिपूर्ण पायी गयी । सम्बन्धित अधिकारी से अपेक्षित है कि उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां उचित प्रारूप में तथा नियमानुसार किया जाये।
8. निरीक्षण के समय निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत नही की गई, जिससे किये गये निरीक्षण की पुष्टि की जा सके । निरीक्षण पंजिका गोवंश–आश्रय–स्थल पर कार्यरत गोपालको के लिए मार्गदर्शक सिद्व हो सकती है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक है, जिससे निरीक्षण का आशय सफल होगा।
9. उक्त परिसर मे कहीं भी वृक्षारोपण नहीं पाया गया। यद्यपि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जहॉ पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। परन्तु विगत चार वर्शो में वृक्षारोपण का प्रयास नही किया गया है। संबंधित अधिकारी द्वारा जलभराव की समस्या को दूर करके परिसर की स्थिति को सुधारा जाना चाहिए तथा उचित स्थान पर वृक्षारोपण किया जाये, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी होगा। परिसर में रोशनी की कोई व्यवस्था नही पायी गई।
10. अन्ततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल का रखरखाव व प्रबन्धन ठीक व संतोषजनक है, परन्तु खुले परिसर में सुधार की काफी आवश्यकता है तथा तत्काल टैगिंग भी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

नगर पंचायत–माधौगढ़, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

नगर पंचायत–माधौगढ़, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

नगर पंचायत–माधौगढ़, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

Annexure-33

ग्राम पंचायत–छिरिया सलेमपुर, विकासखण्ड–जालौन, जनपद-जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–25.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ग्राम पंचायत–छिरिया सलेमपुर, विकासखण्ड–जालौन,जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1–श्री प्रशान्त कुमार यादव, खण्ड विकास अधिकारी, जालौन
2–श्री अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
3– श्री दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0)
4– श्री अरूण कुमार, ए0एस0ओ0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5–श्री शशि कुमार वर्मा, पशुधन प्रसार अधिकारी, छिरिया सलेमपुर
6–डॉ0 रविन्द्र सिंह राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी, छिरिया सलेमपुर
7–श्रीमती संगीता यादव ग्राम विकास अधिकारी, छिरिया सलेमपुर
8–श्रीमती सोनल तिवारी, ग्राम प्रधान, छिरिया सलेमपुर
9–श्री अनुज, गोपालक
10–श्री लाल सिंह, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2019 से संचालित होना सूचित किया गया, इसे स्थापित करने के लियें ग्राम समाज से भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 04 बीघा है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल सडक के किनारे पर स्थित है, जिसे चारों तरफ से कटीलें तारों से घेरा गया है जो नितान्त अनुचित है। मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। पूरे परिसर में पडंजा बिछा है। परिसर के अंदर एक कोने में जलभराव की समस्या है। कोई भी कच्चा स्थान गोवंशों के घूमने के लिए उपलब्ध नही है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आस–पास आबादी/विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नही है। वर्तमान में 02 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 6000/– प्रतिमाह है। इस गोवंश आश्रय स्थल में 05 नर, 66 मादा व 12 बछड़े/बछिया, कुल 83 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन हेतु उपलब्ध नही कराया गया है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गोवंश पंजिका का रखरखाव माह अगस्त, 2022 से किया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस विगत वर्ष में किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं हुई है, परंतु दिनांक–22.12.2022, 24.12.2022, 03.01.2023, 06.01.2023, 20.01.2023 तथा 02.04.2023, कुल 06 गोवंश का पंचनामा होना पाया गया, जिसमें पंचों के हस्ताक्षर पाये गये।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि अब तक 74 गोवंशों की टैगिंग की गयी है, परन्तु मौके पर कमेटी द्वारा स्थल पर उपस्थित 02 गोवंशों के टैग नम्बर लिये गये, जिसका टैगिंग पंजिका में काई मिलान नही हो पाया, जिसका उपस्थित पशु चिकित्सा अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी कोई स्पष्टीकरण नही दे सके। मात्र 07–08 गोवंशों मे टैगिंग पायी गयी तथा अन्य किसी गोवंश में न तो टैगिंग और न ही कान में छेद पाया गया। टैगिंग पंजिका में टैगिंग का दिनांक उल्लिखित नही है तथा हस्ताक्षर नही किये गये है। यह पंजिका अधूरी व त्रुटिपूर्ण है तथा नियमानुसार नही बनाई गयी है, जिससे प्रतीत होता है कि यह पंजिका तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार की गयी है। टीकाकरण पंजिका के अनुसार, दिनांक–17.09.2023 अर्थात निरीक्षण की सूचना के उपरान्त, सभी 83 गोवंशों का एल0एस0डी0 टीकाकरण किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा टैगिंग पंजिका व टीकाकरण पंजिका मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, जिसमे गोवंशों का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां नियमानुसार हो।
3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में मात्र 03 टिन–शेड (12.19 मी0 X 6.09 मी0, 10.97 मी0 X 6.09 मी0 व 11.58 मी0 X 6.09 मी0) बने हैं, जिसमे पडंजा बिछा है। सर्दी व गर्मी के मौसम से बचाव के लिए टिन–शेड को ढकने की कोई व्यवस्था तथा बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंश के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था नहीं पाई गई । गोवंशों के खाने के लिए एक चरनी (9.14 मी0 X 1.82 मी0) टिन–शेड के बीचों–बीच तथा दूसरी चरनी (13.71 मी0 X 1.82 मी0) खुले मैदान में स्थित है, जिससे गोवंशों द्वारा दोनो तरफ से आसानी से चारा खाया जा सकता है। टिन–शेड के बगल में मूत्र व अपशिष्ट जल

निकासी की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, परन्तु एक सोकपिट निर्माणाधीन है, जिसपर ढक्कन लगा है। टिन–शेड तथा परिसर की साफ-सफाई ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण की सूचना पर जल्दीबाजी में सफाई की गई है। यदि परिसर एवं टिन–शेड के किनारे गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारित किया जाये, तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा।

4. गोवंश के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है तथा एक पक्की हौज (7.62 मी0 X 1.82 मी0) बनी हुई है, जो परिसर के एक किनारे स्थित है । जल के निस्तारण के लिये कोई नाली नहीं बनी है, जिससे जलभराव व जल प्रदषूण की समस्या लगातार बनी हुई है। गोवंश को नहलाने की कोई सूचना नही दी गई है।
5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक कम्पोस्ट पिट (6.09 मी0 X 3.04 मी0) निर्माणाधीन है तथा गोवंश–आश्रय–स्थल के किनारे गोबर पिछले कुछ समय से खुले में एकत्र किया जा रहा है, जा कि नियम के विरूद्व है। परिसर में वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र तथा गोबर एवं मूत्र के अन्य उपयोग की कोई व्यवस्था नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक-02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल की आय वृद्वि के लिए परिसर मे कम्पोस्टिंग के लिये गड्ढ़े बनाकर उसमें गोबर एवं मूत्र डालकर कम्पोस्ट खाद तैयार की जा सकती है, जिससे तैयार खाद की ग्राह्यता स्थानीय लोगों में अधिक होगी। किन्तु इस दिशा में कोई प्रयास नही किया गया है।
6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण पोषण किया जाता है। निरीक्षण के समय अधिकांश गोवंश स्वस्थ दिखें । इस गोवंश–आश्रय–स्थल में दो भूसा भण्डारण कक्ष (9.14 मी0 X 4.57 मी0 व 6.09 मी0 X 4.87 मी0) का होना बताया गया है, जिसमें भूसे की उपलब्धता काफी कम पायी गई। भूसा पंजिका का अवलोकन में पाया गया कि लगभग 3.09 कुन्तल भूसा प्रतिदिन के हिसाब से गोवंशों को दिया जाता है तथा शेष 63.4 कुन्तल भूसा पंजिका में दर्ज पाया गया । बताया गया कि इस गोवंश आश्रय के निकट नैपियर घास की बुआई की गयी है परन्तु निरीक्षण के समय आस–पास कहीं भी नैपियर घास नहीं पायी गयी। इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर चारा काटने की मशीन तो नही, परन्तु ढुलाई के लिए ठेले की व्यवस्था पाई गई ।
7. कैश बुक पंजिका, लेखा पंजिका, सुपुर्दीकरण पंजिका तथा खाताबही पंजिका प्रस्तुत की गयी। सुपुर्दीकरण पंजिका के अनुसार दिनांक–29.12.'2022 को 09 गोवंश तथा दिनांक 05.03.2023 को 10 गोवंशो का सुपुर्दीकरण किया गया है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां उचित प्रारूप में तथा रखरखाव नियमानुसार द्वारा किया जाना चाहिए।
8. निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 06 निरीक्षण (दिनांक–14.07.2023, 19.09.2023, 21.09.2023, 23.09.2023 को एक–एक निरीक्षण तथा दिनांक–24.09.2023 को दो निरीक्षण) किये गये है, जिसका सुझाव पंजिका में भी अंकित किया गया है। निरीक्षण दिनांक को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण की सूचना मिलते ही उपरोक्त निरीक्षण आख्या तैयार की गयी है। निरीक्षण पंजिका गोवंश–आश्रय–स्थल पर कार्यरत गोपालको के लिए मार्गदर्शक सिद्व हो सकती है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना स्पष्ट मन्तव्य लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक है एवं भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि उनके द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं कि उनका पालन हो रहा है या नहीं, अन्यथा निरीक्षण का आशय ही विफल हो जायेगा।
9. निरीक्षण के समय उक्त परिसर के बीचो–बीच कटीले तारों से घिरा हुआ पाया गया जिसमें वृक्षारोपण किया गया है। यद्यपि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जहॉ पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षारोपण के लिए कोई प्रयास नही किया गया है, जिससे गोवंशों को गर्मी व धूप से बचाया जा सकता हो। संबंधित अधिकारी से अपेक्षा है कि जलभराव की समस्या को दूर करके परिसर की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए तथा परिसर में उचित स्थान पर अधिक छायादार वृक्ष का रोपण किया जाना चाहिए, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी होगा तथा गोवंशों को भीषण गर्मी से बचाएगा। परिसर में रोशनी की व्यवस्था नही है।
10. अन्ततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल का रखरखाव व प्रबन्धन बहुत ही अव्यवस्थित व असंतोषजनक है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। इसमें सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–छिरिया सलेमपुर, विकासखण्ड–जालौन, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

ग्राम पंचायत–छिरिया सलेमपुर, विकासखण्ड–जालौन, जनपद–जालौन स्थित
अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

Annexure-34

ग्राम पंचायत–भिटारा, विकासखण्ड–जालौन, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–25.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ग्राम पंचायत–भिटारा, विकासखण्ड–जालौन, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1– श्री प्रशान्त कुमार यादव, खण्ड विकास अधिकारी, जालौन
2– श्री अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
3– श्री दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0)
4– श्री अरूण कुमार, ए0एस0ओ0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5– श्री शिवम मिश्रा, पशुधन प्रसार अधिकारी, भिटारा
6– डॉ0 रविन्द्र सिंह राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी, भिटारा
7– श्री प्रवीण सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, भिटारा
8– श्रीमती गायत्री देवी, ग्राम प्रधान, भिटारा
9– श्री अशोक कुमार, गोपालक
10– श्री प्रीतम, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2019 से संचालित होना सूचित किया गया, इसे स्थापित करने के लियें ग्राम पंचायत से भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 02 बीघा है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल चारों तरफ से तारों से घिरा है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के पास लगभग 200 मी0 पर एक तालाब स्थित है, परन्तु आसपास आबादी/विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नही है। परिसर में जगह–जगह गोबर के ढेर व निर्माण की सामग्री (जैसे ईटें, बालू, मोरंग इत्यादि) पाई गई। वर्तमान में 02 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन लगभग रू0 7000/– प्रतिमाह है । इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 20 नर, 27 मादा व 18 बछड़े/बछिया, कुल 65 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन हेतु उपलब्ध कराया गया है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गोवंश पंजिका का रखरखाव माह अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है। बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में 25 गोवंशों की मृत्यु की हुई है, परंतु इसके संदर्भ में कोई भी पंचनामा प्रस्तुत नही किया गया, जिससे गोवंश की मृत्यु के होने की पुष्टि की जा सके। इतनी बडी संख्या में गोवंशों की मृत्यु का कोई समुचित कारण प्रस्तुत नही किया जा सका। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि 02 माह पूर्व कई गोवंश इस गोवंश–आश्रय–स्थल में लाए गए है।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक–01.07.2023 को सभी गोवंशों में टैगिंग होना बताया गया, परन्तु मौके पर कुछ ही गोवंशों में टैगिंग पायी गयी तथा अन्य किसी गोवंश में न तो टैगिंग और न ही कान में छेद पाया गया। प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में टैगिंग का दिनांक उल्लिखित नही पाया गया और न ही सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर पाये गये। जिससे यह प्रतीत होता है कि यह पंजिका अधूरी, त्रुटिपूर्ण व नियमानुसार नही बनाई गयी है। यह पंजिका तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार की गयी है, जिसका पशु चिकित्सा अधिकारी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। चिकित्सा पंजिका/टीकाकरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। बताया गया कि दिनांक–31.03.2023 को डी–वार्मिंग व दिनांक–20.09.2023 को एल0एस0डी0 टीकाकरण किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंजिका कभी बनायी ही नहीं गई है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा टैगिंग पंजिका व टीकाकरण पंजिका मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, जिसमे गोवंशों का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां नियमानुसार हो।
3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में मात्र 01 पडंजायुक्त टिन–शेड (24.38 मी0 × 6.70 मी0) है, जिसे टिन की चादरों से घेरा गया है, जिससे गोवंशो को सर्दी के मौसम से बचाया जाता है। परिसर में एक तरफ बांस के शेड का निर्माण किया गया है, जो गोवंशो के लिए गर्मी से बचाव के लिए प्रयोग किया जाना बताया गया। बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंश के लिए अलग से कक्ष की कोई व्यवस्था नही पाई गई। गोवंशो के खाने के लिए एक चरनी (5.48 मी0 × 1.52 मी0) खुले मैदान में स्थित है, जिससे गोवंशो द्वारा

दोनो तरफ से आसानी से चारा खाया जा सकता है। परिसर मे अत्यधिक गोबर कीचड़ का फैलाव होने के कारण गोवंशो का परिसर में घूमना सम्भव नही है। टिन–शेड के बगल में मूत्र व अपशिष्ट जल निकासी व सोकपिट की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिससे जलभराव की समस्या निरंतर बनी हुई है। टिन–शेड तथा परिसर की साफ–सफाई में अत्यंत सुधार की आवश्यकता है। यदि परिसर एवं टिन–शेड के किनारे गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारित किया जाये, तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा।

4. गोवंश के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है तथा एक पक्की हौज (4.57 मी0 × 1.21 मी0) निर्माणाधीन है। परिसर के किनारे एक तरफ अत्यधिक जलभराव पाया गया, जिससे गोवंशों को चलने/घूमने में समस्या होती है। जल के निस्तारण के लिये कोई नाली का निर्माण नही किया गया है, जिससे जलभराव व जल प्रदषूण की समस्या लगातार बनी हुई है। गोवंश को उचित अंतराल में नहलाने की कोई सूचना नही दी गई।
5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कम्पोस्ट पिट नहीं पायी गयी तथा परिसर में पिछले कुछ समय से गोबर खुले मे एकत्र किया जा रहा है। कोई कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र तथा गोबर एवं मूत्र के अन्य उपयोग की कोई व्यवस्था नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक–02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल की आय वृद्वि के लिए परिसर मे कम्पोस्टिंग के लिये गड्ढे बनाकर उसमें गोबर एवं मूत्र डालकर कम्पोट खाद तैयार की जा सकती है, जिससे तैयार खाद की ग्राह्यता स्थानीय लोगों में अधिक होगी। इस दिशा में कोई प्रयास भी नही किया गया है।
6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण पोषण किया जाता है। परन्तु निरीक्षण के समय कुछ पशु तो स्वस्थ दिखे एवं कुछ काफी दुर्बल दिखे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें समुचित आहार नहीं दिया जा रहा है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक भूसा भण्डारण कक्ष (8.22 मी0 × 5.18 मी0) है, जो परिसर के बाहर व्यवस्थित है, जिसमें भूसे की मात्रा गोवंशो के अनुसार काफी कम पाई गई। भूसा पंजिका के अवलोकन में पाया गया कि 2.40 कुंतल भूसा प्रतिदिन के हिसाब से सभी गोवंशों को दिया जाता है। नैपियर घास की बुआई के सम्बन्ध में कोई सूचना नही दी गयी और न ही निरीक्षण के समय आस–पास कहीं भी नैपियर घास पायी गयी। गोवंश–आश्रय–स्थल पर चारा काटने की मशीन व ढुलाई के लिए ठेले आदि की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
7. कैशबुक पंजिका प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार माह–मई, 2023 में भूसे व हरे चारे का क्रय नहीं किया गया है। सुपुर्दगीकरण पंजिका प्रस्तुत नही की गयी। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां उचित प्रारूप में तथा रखरखाव नियमानुसार द्वारा किया जाना चाहिए।
8. संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में इस गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया था, परन्तु इस सम्बन्ध में निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत नही की गयी, जिससे सत्यता का पता लगाया जा सके, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी कोई भी संतोषजनक उत्तर नही दे सके। निरीक्षण पंजिका गोवंश–आश्रय–स्थल पर कार्यरत गोपालको के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना स्पष्ट मन्तव्य लिखित रूप में पंजिका में अंकित करना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं कि उनका पालन हो रहा है या नहीं, अन्यथा निरीक्षण का आशय ही विफल हो जायेगा।
9. निरीक्षण के समय उक्त परिसर में वृक्षारोपण नही पाया गया। यद्यपि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जहाँ पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षारोपण के लिए कोई प्रयास नही किया गया है, जिससे गोवंशों को गर्मी व धूप से बचाया जा सके। परिसर में जलभराव की समस्या, निर्माण सामग्री के रखरखाव की स्थिति को सुधारा तथा वृक्षारोपण किया चाना चाहिए, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी होगा। परिसर में रोशनी की व्यवस्था नही है।
10. अन्ततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल का रखरखाव व प्रबन्धन बहुत ही अव्यवस्थित व असंतोषजनक है, जिसमें सुधार की अति आवश्यकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–भिटारा, विकासखण्ड–जालौन, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

Annexure-35

नगर पालिका परिषद–जालौन, जनपद-जालौन स्थित कान्हा गोशाला की निरीक्षण आख्या

दिनांक-25.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा नगर पालिका परिषद–जालौन, जनपद-जालौन स्थित कान्हा गोशाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1– श्री प्रशान्त कुमार यादव, खण्ड विकास अधिकारी, जालौन
2– डॉ0 अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
3– श्री दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0)
4– श्री अरूण कुमार, ए0एस0ओ0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5– श्रीमती सीमा तोमर, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, जालौन
6– डॉ0 रविन्द्र राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर पंचायत, जालौन
7– श्री शशि कुमार वर्मा, पशुधन प्रसार अधिकारी, नगर पंचायत, जालौन
8–श्री युवराज, गोपालक
9– श्री अखिलेश सोनी, गोपालक
10– श्री विजय, गोपालक
11– श्री करन, गोपालक
12– श्री विजय, गोपालक
13– श्री वीरू, गोपालक

1. यह कान्हा गोशाला वर्ष 2019 से संचालित होना सूचित किया गया है, जिसे स्थापित करने के लियें नगर पंचायत, जालौन से भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका क्षेत्रफल 9430 वर्ग मी0 है। यह गोशाला चारों तरफ से पक्की दीवारों से घेरा गया है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। वर्तमान में इस कान्हा गोशाला में 06 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 8500/– प्रतिमाह है। पूरा परिसर में साफ–सफाई, पडंजा व खड़ंजायुक्त है। इस कान्हा गोशाला के आस–पास आबादी/विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नही है। इस कान्हा गोशाला में 72 नर, 119 मादा व 15 बछडे/बछिया, कुल 206 गोवंशो का संरक्षित होना बताया गया है। कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन हेतु उपलब्ध नही कराया गया है। अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि गोवंश पंजिका का रखरखाव वर्ष 2022 से किया जा रहा है। बताया गया कि अब तक 21 गोवंशों की मृत्यु हुई है।
2. बताया गया कि चिकित्सा संबंधी कार्यो के दौरान निकलने वाले जैव–चिकित्सा अपशिष्ट को परिसर में नही छोड़ा जाता है। चिकित्सा एवं टीकाकरण के उपरान्त समस्त जैव अपशिष्ट को पशु चिकित्सालय लाया जाता है एवं समय–समय पर निकलने वाले पशु अपशिष्ट को गड्ढे बनाकर चूना डालकर दबा दिया जाता है। बताया गया कि दिनांक–13.07.2023 को एच0एस0 टीकाकरण, दिनांक–05.09.2023 को एल0एस0डी0 टीकाकरण तथा माह जून, 2023 मे डी–वार्मिंग किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा टैगिंग पंजिका व टीकाकरण पंजिका मानकों के अनुसार तैयार की जा रही है। जिसमे गोवंशों का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां नियमानुसार अंकित है ।
3. इस कान्हा गोशाला में 02 बड़े टिन–शेड (प्रत्येक 51 मी0 X 12.5 मी0) हैं, जिनमे से एक टिन–शेड चारो तरफ से खुला तथा दूसरा टिन–शेडएक तरफ से ढका एवं हिस्सों में बॅटा हुआ पाया गया। खुले टिन–शेड, मादा गोवंशो के लिए तथा दूसरे टिन–शेड के एक हिस्से में नर गोवंश व दूसरा हिस्सा बछड़े–बछियों के लिए संरक्षित किया गया है, जिसमे गेट लगा पाया गया। दोनो टिन–शेड के बीचों–बीच चरनी (प्रत्येक 51 मी0 X 0.60 मी0) स्थित है जिससे गोवंशों द्वारा दोनो तरफ से चारा खाया जा सकता है। बताया गया कि बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंशों के लिए अलग टिन–शेड (27 मी0 X 10 मी0) व बीचों–बीच एक चरनी (19 मी0 X 0.60 मी0) की व्यवस्था है तथा उनके उपचार हेतु अढ़गढ़ा भी स्थापित है। परिसर में पशु चिकित्सक कक्ष व दवा कक्ष भी स्थापित है। बताया गया कि गोवंशों को बरसात के समय सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त आच्छादित स्थान की व्यवस्था है। शीतकाल में बचाव के लिए तिरपाल लगवाई जाती है एवं गर्मी से बचाव के लिए हरी जाली लगवाई जाती है। परिसर में गोवंशों को उचित अंतराल पर नहलाने की व्यवस्था उपलब्ध है।
4. गोवंशों के पेयजल आपूर्ति के लिए परिसर में 04 पक्की हौज (दो: प्रत्येक 7 मी0 X 1.80 मी0 व दो: प्रत्येक 5 मी0 X 1.20 मी0) (03 उपयोगी व 01 अनुपयोगी) बनी है तथा एक इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पम्प व

एक सोलर सबमर्सिबल लगा हुआ है। जल के निस्तारण के लिए उचित स्थानों पर नालियां व 02 सोकपिट बनी हुई है। जिससे जल परिसर मे एकत्रित नही होता है। बताया गया कि बायोगैस संयंत्र का अवशेष निस्तारण के लिए उरई स्थित एफ0एस0टी0पी0 संयंत्र में ले जाया जाता है। बताया गया कि यदि जलभराव की स्थिति आती है तो नगर पालिका के पम्पिंग सेट के माध्यम से जल निकासी की जाती है । बताया गया कि गोवंशो का उचित अन्तराल पर गोपालकों द्वारा नहलाया जाता है। गोवंशो को देखकर प्रतीत होता है कि उनकी देखभाल व रख–रखाव व्यवस्थित ढंग से की जा रही है।

5. इस कान्हा गोशाला में एक बायोगैस संयंत्र है, जिससे कम्पोस्टिंग करके गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल से बनी खाद को उपयोग में लाया जाता है, जैसा कि शासनादेश दिनांक-02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। तैयार खाद से परिसर व स्थानीय लोगों को अधिक लाभ मिलता है। बताया गया कि प्रतिदिन लगभग 04 कुन्तल गोबर का एकत्रण किया जाता है तथा एकत्रण के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था है। निरीक्षण के समय गोबर की ढुलाई के लिए ठेले की व्यवस्था पाई गई। बताया गया कि गोबर एकत्रित करने बाद इसका निस्तारण करने के लिए बायोगैस संयंत्र में गोबर डालकर विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं स्थापित वर्मीकम्पोस्टिंग संयंत्र (19 मी0 X 2.80 मी0) में गोबर का उपयोग किया जाता है। नगर पालिका द्वारा संचालित वेट वेस्ट संयंत्र (50 मी0 X 8.50 मी0) में कम्पोस्टिंग की प्रक्रिया तीव्र करने हेतु गोबर का प्रयोग किया जाता है। अधिशासी अधिकारी द्वारा कम्पोस्ट खाद बनने की प्रक्रिया कमेटी को बताई गई, जिसके प्रयोग से दूरस्थ गॉवो मे ग्रामवासियों द्वारा कम्पोस्टिंग करके अपने खेतो की उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है एवं गोबरयुक्त जल की गन्दगी से बचा जा सकता है ।
6. बताया गया कि इस कान्हा गोशाला में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण–पोषण किया जाता है। निरीक्षण के समय अधिकांश गोवंश स्वस्थ दिखें। गोवंशों के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रतीत होता है कि उन्हें उचित मात्रा में भूसा, हरा चारा एवं अन्य खाद्य पदार्थ नियमित रूप से दिया जाता है। परिसर में भूसा भण्डारण कक्ष (10 मी0 X 10 मी0) स्थित है, जिसमें लगभग 100 कुन्तल भूसा उपलब्ध है। भूसा पंजिका के अनुसार सभी गोवंशों को 10 कुन्तल भूसा व 4.10 कुन्तल हरा चारा प्रतिदिन दिया जाता है। परिसर में हरा चारा काटने के लिए मशीन व एक अलग कक्ष उपलब्ध है। बताया गया कि नगर पालिका, जालौन की चिहिन्त भूमि मौजा जगनेवा में गाटा संख्या–34,42,43 (क्षेत्रफल–0.806 हेक्टेयर) में भूमि की लेवलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। वर्षा ऋतु के बाद नैपियर घास की बुआई का कार्य किया जायेगा एवं वर्तमान में हरा/नैपियर घास की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा ली जा रही है। इस कान्हा गोशाला में स्थापित बायोगैस संयंत्र के द्वारा वाटर पम्प चलाया जाता है। परिसर मे उचित रोशनी की व्यवस्था उपलब्ध है तथा गोपालको के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था भी पायी गई।
7. हरा चारा पंजिका, कैश बुक पंजिका, लेखा पंजिका, सुपुर्दीकरण पंजिका, खाताबही पंजिका तथा आगन्तुक पंजिका प्रस्तुत की गयी। अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि माह मार्च, 2022 से अब तक नगर पालिका, जालौन से रू0 33 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है तथा अगले 06 माह के बजट की मॉग जिलाधिकारी, जालौन के माध्यम से की गयी है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजिकाओं का रख–रखाव व्यवस्थित एवं प्रविष्टियां उचित प्रारूप में नियमानुसार पंजीकृत की जा रही है।
8. निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार अब तक कुल 03 निरीक्षण (दिनांक–26.07.2022, 02.09.2022 व 29.12.2022) किये गये है जिसका विवरण सुझाव निरीक्षण पंजिका में अंकित किया गया है। निरीक्षण पंजिका कान्हा गोशाला पर कार्यरत गोपालकों के लिए मार्गदर्शक सिद्व हो सकती है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं कि उनका पालन हो रहा है या नही, अन्यथा निरीक्षण का आशय ही विफल हो जायेगा।
9. बताया गया कि वर्तमान वर्ष में 30 वृक्षारोपण व पिछले वर्ष 200 वृक्षारोपण, कुल 230 वृक्षारोपण किये गये है। इस कान्हा गोशाला में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जिससे गोवंशों को गर्मी व धूप से बचाया जा सकता है, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी होगा। परिसर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है तथा परिसर के नियंत्रण हेतु गोशाला में 03 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे है, जिसका नियंत्रण परिसर में स्थित नियंत्रण कक्ष से किया जाता है।
10. अंततः कमेटी के विचार में इस कान्हा गोशाला का रख–रखाव व प्रबन्धन बहुत ही उत्तम, व्यवस्थित, संतोषजनक एवं अनुकरणीय है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

कान्हा गोशाला, नगर पालिका परिषद–जालौन, जनपद–जालौन

कान्हा गोशाला, नगर पालिका परिषद–जालौन, जनपद–जालौन

कान्हा गोशाला, नगर पालिका परिषद–जालौन, जनपद–जालौन

कान्हा गोशाला, नगर पालिका परिषद–जालौन, जनपद–जालौन

Annexure-36

ग्राम पंचायत–कनासी, विकास खण्ड–नदीगांव, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 26.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ग्राम पंचायत कनासी स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2– श्री गौरव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, नदीगांव ।
3– श्री देवेन्द्र निरंजन, सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0डी0), नदीगांव ।
4– डा0 रविन्द्र सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, नदीगांव ।
5– श्री मनीष कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी, नदीगांव
6– श्री दीपक कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, कनासी ।
7– श्रीमती पान कुमारी, ग्राम प्रधान कनासी के प्रतिनिधि।
8– श्री दिलीप व 02 अन्य गोपालक।

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल लगभग 6 वर्षों से ग्रामसभा की भूमि पर संचालित होना बताया गया। इस गोवंश स्थल में 01 टिन शेड (12.5मी x 8मी), दोनो तरफ से खाने के लिए उपयुक्त 01 चरनी (10 मी x 1.8मी), 01 चरही (04मी x 02मी) व 01 पक्का कम्पोस्ट पिट (04मी x 1.5मी) निर्मित है। टिन शेड के अदंर खड़ंजा है व शेष परिसर कच्चा है। गोवंश–आश्रय–स्थल परिसर चारों तरफ जालीदार तार से घिरा हुआ है। गोवंश–आश्रय–स्थल में समर्सिबल पम्प व विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। ग्राम प्रधान के द्वारा अवगत कराया गया कि पानी के टैंक को एक सप्ताह में साफ कराया जाता है।
2. स्थल पर भूसा भण्डार की कोई व्यवस्था नही थी। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि भूसा, गोवंश–आश्रय–स्थल के बाहर लगभग 1.5 कि0मी0 दूर, ब्लाक रिसोर्स सेन्टर में स्टॉक किया जाता है व समय–समय पर आवश्यकतानुसार आश्रय स्थल में लाया जाता है। यहां भण्डारित भूसा की गुणवत्ता ठीक पायी गयी। यह भी बताया कि फिलहाल इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर भूसा भण्डार बनाने की कोई योजना नहीं है। प्रतिदिन दूर से भूसा लाने की तुलना में आश्रय–स्थल पर ही भण्डारण की व्यवस्था करना बेहतर होगा।
3. परिसर में बीमार, अशक्त एवं विकलांग गोवंशों को अलग से रखने के लिए शेड या अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
4. गोवंश–आश्रय–स्थल आवासीय क्षेत्र के पास है, परन्तु इसके आस–पास कोई अस्पताल/विद्यालय या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नही है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में गोबर निस्तारण, दूषित जल व मूत्र के निकासी की व्यवस्था अत्यन्त खराब है। परिसर के किनारे–किनारे, टिन–शेड के पीछे, चरही के आस–पास

व गोबर की ढ़ेर के आस–पास कीचड़युक्त जलजमाव था, जिसको प्रथम दृष्ट्या पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषणकारी कहा जा सकता है (संलग्नक 01)।

5. ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कुल 70 गोवंश हैं, जबकि गणना पंजिका में दि0–22.09.2023 को कुल केवल 52 गोवंश ही अंकित हैं। दिनांक 22.09.2023 के बाद इस पंजिका में कोई गोवंश संख्या अंकित नहीं किया गया है। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा गोवंश की संख्या के सम्बन्ध में दिया गया बयान मौके पर उपलब्ध गोवंश संख्या एवं अभिलेखों से मेल नही खाता है। गोवंशों की गणना करने पर स्थल पर कुल मात्र 44 गोवंश पाये गये। इनमें से 20 गोवंश टैग किए हुए थे। 23 गोवशों पर पर न तो टैग था और न ही उनके कान पर कोई छेद था। 01 गोवंश ऐसा पाया गया जिसके कान पर छेद तो था परन्तु कोई टैग नहीं था। इस पंजिका में दिनांक 21.10.2021 से गोवंशों की संख्या अंकित की गई है, लेकिन यह न तो दैनिक रूप से और न ही नियमित अन्तराल पर अंकित की गई हैं। वास्तव में, ये प्रविष्टियाँ अस्त–व्यस्त व मनमानें ढंग से की गई हैं (संलग्नक–02)। दिनांक 21.10.2021 से 31.10.2021 तक कुल 72 गोवंशों का होना अंकित है, जबकि नवम्बर माह में इतने ही गोवंशों के लिए 04 प्रविष्टियाँ दिनांक 01.11.2021, 15.11.2021, 16.11.2021 एवं 30.11.2021 को की गयी हैं। दिसम्बर में इतने ही गोवंशों के लिए 06 प्रविष्टियाँ अलग–अलग तिथियों को की गयी हैं। यह स्थिति तब से दिनांक 31.12.2021 तक रही। दिनांक 01.01.2022 से 01.01.2023 के बीच गोवंश संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। पुनः 01.01.2023 से दिनांक 31.01.2023 तथा 01.02.2023 से 28.02.2023 तक 72 गोवंशों की उपस्थिति दर्ज है। दिनांक– 01.03.2023 को गोवंशों की संख्या घटकर 52 हो गई (संलग्नक–03)। इस पंजिका में गोवंशों के घटने का कोई कारण अंकित नहीं है। गोवंशों को जनसहभागिता के अन्तर्गत दिए जाने का भी कोई विवरण अंकित नही है।

6. टैगिंग पंजिका में कनासी न्याय पंचायत के 09 ग्राम सभाओं का विवरण अंकित है, जिसके पृष्ठ संख्या 31 पर दिनांक–29.11.2022 को 52 गोवंशों की टैगिंग किया जाना अंकित है (संलग्नक–04)। इसके पूर्व या बाद में कोई भी टैगिंग का विवरण अंकित नही है, जबकि गणना पंजिका के अनुसार दिनांक 28.02.2023 तक 72 गोवंशों का होना अंकित है। पशु चिकित्साधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि क्यों उनके द्वारा अब तक सभी 72 गोवंशों की टैगिंग नहीं की जा सकी। मौके पर केवल 21 गोवंश में टैग या कान में छेद पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि गणना पंजिका एवं टैगिंग पंजिका दोनों वास्तविकता के आधार पर नहीं बल्कि निरीक्षण की तिथि ज्ञात होने पर जल्दी–जल्दी में बनाये गये हैं।

7. ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कुल 03 गोपालक (श्री दिलीप, श्री सन्तोष व रवि) कार्यरत हैं, जिनको रू0 6000/– प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है। गोपालकों द्वारा शिकायत की गई कि वह

पिछले 2.5 माह से कार्य कर रहे हैं, परन्तु उनको अभी तक कोई वेतन नही दिया गया है।

8. निरीक्षण के दौरान गोवंश–आश्रय–स्थल में कोई प्राथमिक उपचार किट नही पाई गई। पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एफ0एम0डी0 का टीकाकरण पिछले वर्ष किया गया था, परन्तु उनके द्वारा इसके सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये। अवगत कराया गया कि दिनांक 21.06.2023 को 45 गोवंशों का एच0एस0 टीकाकरण तथा दिनांक 25.06.2023 को 52 गोवंशों का एल0एस0डी0 टीकाकरण किया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक– 24.05.2023 को 66 गोवंशों की डी–वार्मिंग कराई गई। यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका कि जब अभिलेखों में मात्र 52 गोवंश दर्ज हैं तो किस प्रकार से 66 गोवंशों की डी–वार्मिंग करायी गयी।
9. भूसा स्टॉक पंजिका में कहीं भी यह अंकित नही है कि यह भूसा स्टॉक पंजिका है। फिर भी, ग्राम विकास अधिकारी के कहने पर इसकी प्रविष्टि का परीक्षण किया गया। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिदिन 15 पोटली (1 पोटली में 30 कि0ग्रा0) भूसा तथा 7–8 दिन में एक बार 6 पोटली हरा चारा (एक पोटली में 40 कि0ग्रा0) गोवंशों को दिया जाता है, जबकि भूसा स्टॉक पंजिका में दिनांक– 29.07.2023 से 22.09.2023 तक की प्रविष्टि के अनुसार प्रत्येक दिन केवल 1.04 क्विंटल भूसा एवं 1.04 क्विंटल हरा चारा दिया जाना अंकित है (संलग्नक–05)। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा दिया गया बयान का अभिलेखों से कोई मेल नहीं पाया गया। अवगत कराया गया कि ग्राम सभा की 1.25 बीघा भूमि पर नेपियर घास लगायी गई थी, परन्तु वह जल जमाव के कारण सड़ गई है। जनपद स्तरीय बैठक में जो सूचना दी गयी थी उसके अनुसार इस गोवंश–आश्रय–स्थल में नेपियर घास या बरसीम लगाये जाने के सम्बन्ध में सूचना शून्य थी। चरनी में भी केवल भूसा पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भूसा स्टाक पंजिका में हरे चारे के संबंध में दिया गया विवरण तथा प्रतिनिधि का मौखिक बयान वास्तविकता के विपरीत है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि यह पंजिका 02–03 दिन पूर्व उनके द्वारा घर पर बैठकर बनायी गयी है।
10. निरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर कोई निरीक्षण पंजिका या स्वयंसेवी गोपालकों को दिये जाने वाले गोवंश से सम्बन्धित पंजिका नहीं बनाई गयी है। यह भी स्वीकार किया गया कि चार्ज में पुरानी कैश–बुक नहीं मिलने के फलस्वरूप कोई नई कैश–बुक भी नही बनाई गई है। यह भी अवगत कराया गया कि भूसे के मूल्य का भुगतान ग्राम प्रधान द्वारा चेक के माध्यम से किया जाता है, परन्तु इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया।
11. निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता श्री मनीष द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले वर्ष 01 माह तक उनके द्वारा ट्रैक्टर से भूसा एवं चारा खेत से गोवंश–आश्रय–स्थल तक ढोया गया। जब किसी गोवंश की मृत्यु हुई तब उसको ट्रैक्टर के द्वारा गोवंश–आश्रय–स्थल से दफनाने वाले गड्ढे तक ले जाया जाया गया। ऐसे ट्रिप की

संख्या भी 30 थी, परन्तु आज तक उसका भुगतान ग्राम प्रधान के द्वारा नही किया गया है। इसी कम में ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि श्री मनीष का ट्रैक्टर से कोई लेना देना नही है, उनकी बात इस कार्य हेतु उसके भाई श्री अवनीश से हुई थी, जिसको ग्राम प्रधान द्वारा रू0 2000/– दिए गए हैं। मौके पर शिकायतकर्ता के भाई श्री अवनीश को बुलवाया गया, जिनके द्वारा रू0 2000/–प्राप्त करने की बात स्वीकार की गई। दोनों पक्ष की बातों से यह स्पष्ट हुआ कि ट्रैक्टर का उपयोग 30 दिन चारे की ढुलाई के लिए तथा 30 दिन मृत गोवंशों की ढुलाई के लिए किया गया था। पूर्व में प्रत्येक खेप के लिए रू0 300/– भुगतान किया जाता था। इस इलाके में यही दर प्रचलित है। इस प्रकार ट्रैक्टर का कुल भाड़ा रू0 18000/– बनता है, जिसके सापेक्ष ग्राम प्रधान द्वारा केवल रू0 2000/– ही दिए गए हैं। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने यह स्वीकार किया कि ट्रैक्टर का उपयोग करने से पहले उन्होंनें कोई दर ट्रैक्टर चालक के साथ निर्धारित नहीं की थी। अधिकारियों को इस प्रकरण को शीध्र सुलझाने हेतु निर्देशित किया गया।

12. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खाद के लिए बनाये गये पक्के गड्ढे में मात्र 5–6 दिन का गोबर ही पड़ा हुआ था। शेष गोबर खुले में रखा था, उसके आसपास जलभराव भी था। अवगत कराया गया कि गोबर का प्रयोग खाद के रूप में ही होता है अतः पक्का कम्पोस्ट पिट बनाने की आवश्यकता नहीं थी। खुले में गोबर एकत्र करने से तथा गोमूत्र एवं प्रदूषित जल निकलने की उचित व्यवस्था न होने से प्रदूषण फैलता है अतः समुचित आकार के कच्चे गड्ढे बनाकर उसमें गोबर, गोमूत्र एवं प्रदूषित जल का कम्पोस्ट किया जाना चाहिए। गड्ढे से निकलने वाली मिट्टी का उपयोग परिसर को ऊँचा करने में किया जा सकता है ताकि गोवंशों को बरसात के दिनों में परिसर से बाहर ले जाने की आवश्यकता न रह जाय।

13. **निष्कर्ष–** इस गोवंश आश्रय–स्थल का रख–रखाव एवं प्रबंधन संतोषजनक ढंग से नहीं किया जा रहा है, इसका पर्यावरण पर प्रदूषणकारी प्रभाव पड़ रहा है। परिसर की नियमित सफाई, निकासी की व्यवस्था तथा गोबर, मूत्र एवं दूषित जल को वैज्ञानिक ढंग से एकत्र कर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए। आश्रय–स्थल से संबंधित सभी अभिलेखों को शासनादेशानुसार अद्यावधिक रखा जाना चाहिए। निरीक्षण के समय उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को इस गोवंश–आश्रय–स्थल के प्रबंधन को उपर्युक्तानुसार दुरूस्त करने के निर्देश दिए गये।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01(क)

संलग्नक–01(ख)

संलग्नक–01(ग)

संलग्नक–02

1 दैनिक गौवंश

दिनांक	संरक्षित मादा गौवंश					योग
	दूध देती	सूखी	गाभिन हीफर	1 से 3 वर्ष	1 वर्ष से कम	
21/10/21	3	23	6	16	8	56
से						
31/10/21 तक	3	23	6	16	8	56
1/11/2021 से	3	23	6	16	8	56
15/11/21 तक	3	23	6	16	8	56
16/11/21 से	3	23	6	16	8	56
30/11/21 तक	3	23	6	16	8	56
1/12/21 से	3	23	6	16	8	56
10/12/21 तक	3	23	6	16	8	56
11/12/21 से	3	23	6	16	8	56
20/12/21 तक	3	23	6	16	8	56
21/12/21 से	3	23	6	16	8	56
31/12/21 तक	3	23	6	16	8	56
1/1/23 से	3	23	6.	16	8	56
31/1/23 तक						

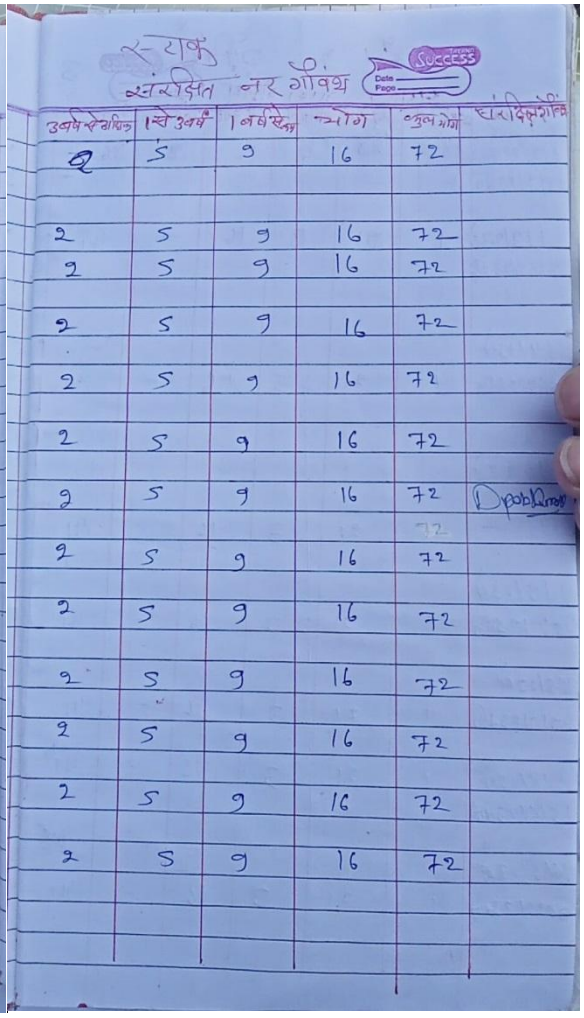

2 एक संरक्षित नर गौवंश

3 वर्ष से अधिक	1 से 3 वर्ष	1 वर्ष से कम	योग	कुल योग	[illegible]
2	5	9	16	72	
2	5	9	16	72	
2	5	9	16	72	
2	5	9	16	72	
2	5	9	16	72	
2	5	9	16	72	
2	5	9	16	72	[illegible]
2	5	9	16	72	
2	5	9	16	72	
2	5	9	16	72	
2	5	9	16	72	
2	5	9	16	72	
2	5	9	16	72	

संलग्नक–03

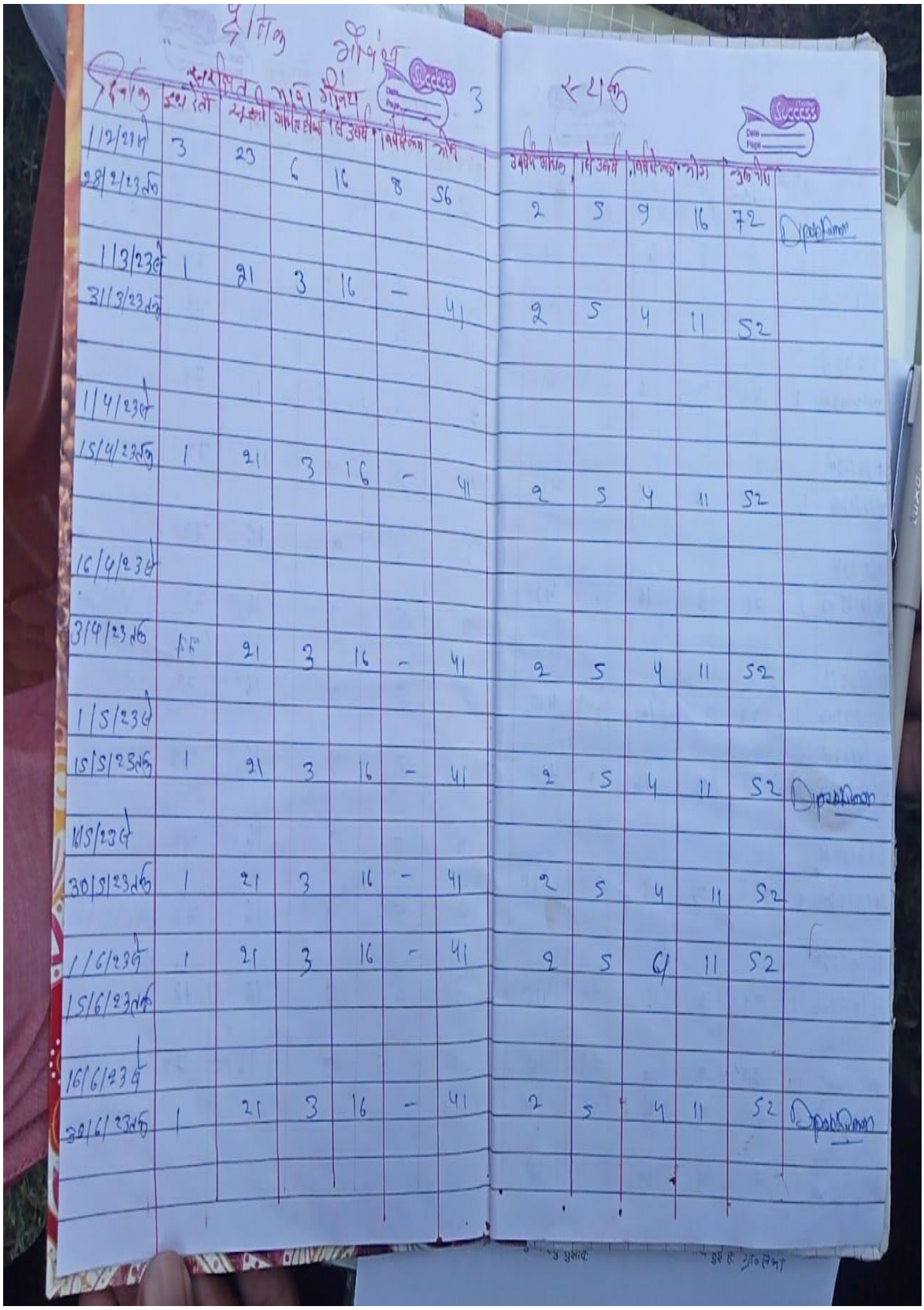

संलग्नक–04

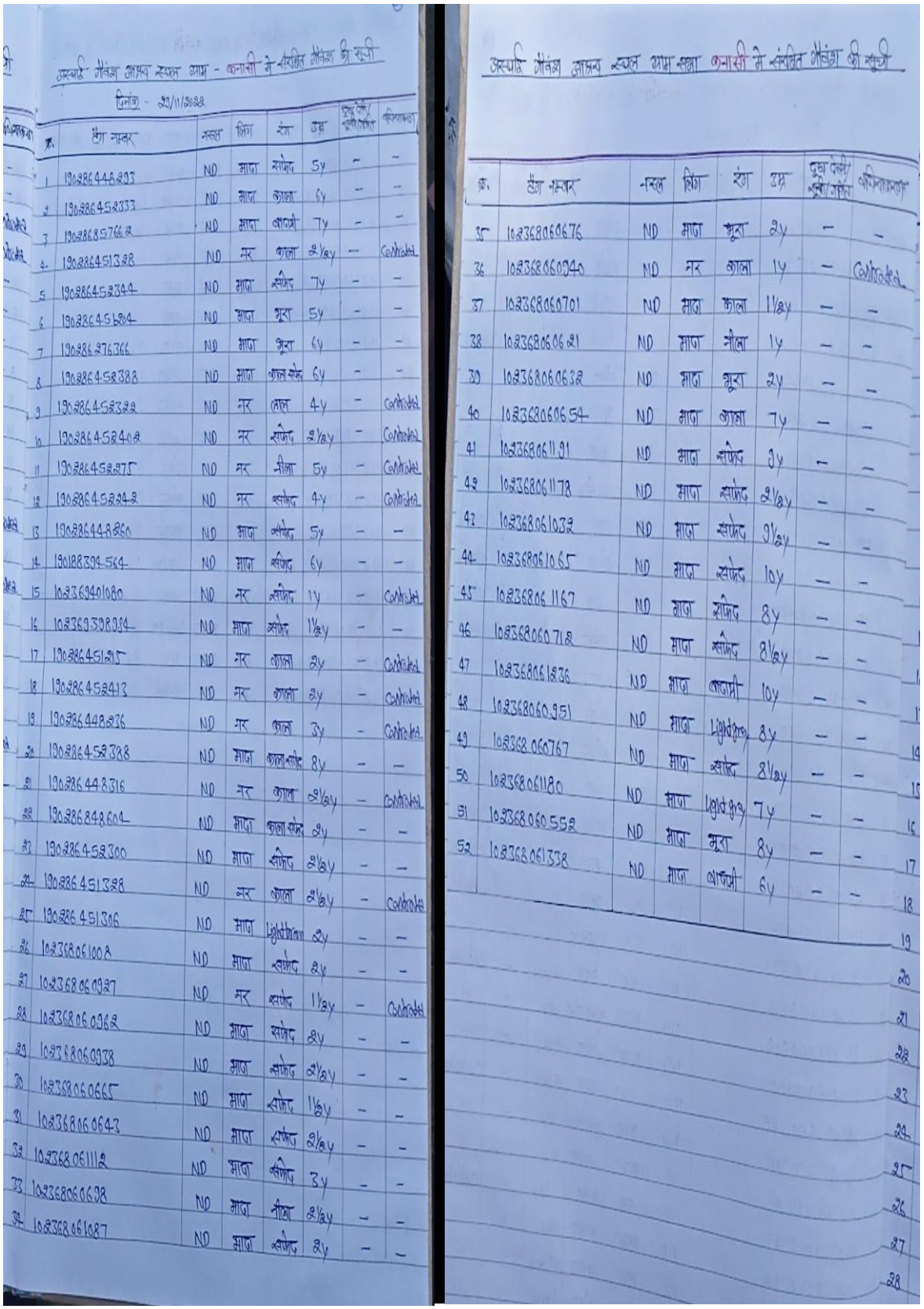

अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल ग्राम - कनासी मे संरक्षित गौवंश की सूची

दिनांक - 23/11/2022

क्र.	टैग नम्बर	नस्ल	लिंग	रंग	उम्र	दूध देती/सूखी/गर्भित	बधियाकरण
1	190286448293	ND	मादा	सफेद	5y	–	–
2	190286452333	ND	मादा	काला	6y	–	–
3	190286857662	ND	मादा	बादामी	7y	–	–
4	190286451328	ND	नर	काला	2½y	–	Controlled
5	190286452344	ND	मादा	सफेद	7y	–	–
6	190286456204	ND	मादा	भूरा	5y	–	–
7	190286276366	ND	मादा	भूरा	6y	–	–
8	190286452388	ND	मादा	काला सफेद	6y	–	–
9	190286452322	ND	नर	लाल	4y	–	Controlled
10	190286452402	ND	नर	सफेद	2½y	–	Controlled
11	190286452275	ND	नर	नीला	5y	–	Controlled
12	190286452242	ND	नर	सफेद	4y	–	Controlled
13	190286448260	ND	मादा	सफेद	5y	–	–
14	190188394564	ND	मादा	सफेद	6y	–	–
15	102369401080	ND	नर	सफेद	1y	–	Controlled
16	102369398984	ND	मादा	सफेद	1½y	–	–
17	190286451215	ND	नर	काला	2y	–	Controlled
18	190286452413	ND	नर	काला	2y	–	Controlled
19	190286448236	ND	नर	काला	3y	–	Controlled
20	190286452388	ND	मादा	काला सफेद	8y	–	–
21	190286448316	ND	नर	काला	2½y	–	Controlled
22	190286848604	ND	मादा	काला सफेद	2y	–	–
23	190286452300	ND	मादा	सफेद	2½y	–	–
24	190286451328	ND	नर	काला	2½y	–	Controlled
25	190286451306	ND	मादा	Light brown	2y	–	–
26	102368061008	ND	मादा	सफेद	2y	–	–
27	102368060927	ND	नर	सफेद	1½y	–	Controlled
28	102368060962	ND	मादा	सफेद	2y	–	–
29	102368060938	ND	मादा	सफेद	2½y	–	–
30	102368060665	ND	मादा	सफेद	1½y	–	–
31	102368060643	ND	मादा	सफेद	2½y	–	–
32	102368061112	ND	मादा	सफेद	3y	–	–
33	102368060698	ND	मादा	नीला	2½y	–	–
34	102368061087	ND	मादा	सफेद	2y	–	–

अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल ग्राम सभा कनासी मे संरक्षित गौवंश की सूची

क्र.	टैग नम्बर	नस्ल	लिंग	रंग	उम्र	दूध देती/सूखी/गर्भित	बधियाकरण
35	102368060676	ND	मादा	भूरा	2y	–	–
36	102368060940	ND	नर	काला	1y	–	Controlled
37	102368060701	ND	मादा	काला	1½y	–	–
38	102368060621	ND	मादा	नीला	1y	–	–
39	102368060632	ND	मादा	भूरा	2y	–	–
40	102368060654	ND	मादा	काला	7y	–	–
41	102368061191	ND	मादा	सफेद	9y	–	–
42	102368061178	ND	मादा	सफेद	2½y	–	–
43	102368061032	ND	मादा	सफेद	9½y	–	–
44	102368061065	ND	मादा	सफेद	10y	–	–
45	102368061167	ND	मादा	सफेद	8y	–	–
46	102368060712	ND	मादा	सफेद	8½y	–	–
47	102368061236	ND	मादा	बादामी	10y	–	–
48	102368060951	ND	मादा	Light grey	8y	–	–
49	102368060767	ND	मादा	सफेद	8½y	–	–
50	102368061180	ND	मादा	Light grey	7y	–	–
51	102368060552	ND	मादा	भूरा	8y	–	–
52	102368061338	ND	मादा	बादामी	6y	–	–

संलग्नक–05

दिनांक	सूखा चारा/भूसा मात्रा कु०	भूसा धनराशि	हरा कु०	चारा मात्रा धनराशि	कुल व्यय धनराशि
22/8/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
23/8/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
24/8/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
25/8/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
26/8/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
27/8/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
28/8/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
29/8/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
30/8/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
31/8/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
1/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
2/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
3/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
4/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
5/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
6/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
7/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
8/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
10/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
11/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
12/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
13/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
14/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
15/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
16/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
17/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
18/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00

23

दिनांक	सूखा चारा/भूसा मात्रा कु०	धनराशि	मात्रा कु०	धनराशि	कुल व्यय धनराशि
19/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
20/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
21/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00
22/9/23	1.04	936.00	1.04	624.00	1560.00

Annexure-37

ग्राम पंचायत –अकनीवा, विकास खण्ड–नदीगांव, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 26.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ग्राम पंचायत अकनीवा स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2– श्री गौरव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, नदीगांव ।
3– श्री देवेन्द्र निरंजन, सहायक विकास अधिकारी(आई0एस0डी0), नदीगांव ।
4– डा0 रविन्द्र सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, नदीगांव ।
5– श्री मनीष कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी, नदीगांव
6– श्री दीपक कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, अकनीवा ।
7– श्रीमती आशा देवी, ग्राम प्रधान अकनीवा के प्रतिनिधि।
8– श्रीमती अनीता देवी व 03 अन्य गोपालक।

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष–2020 से ग्रामसभा की भूमि पर संचालित होना बताया गया। इस गोवंश स्थल में 01 टिन शेड (18.3मी0 x 15.3मी0), दानों तरफ से खाने के लिए उपयुक्त 01 चरनी (10 मी x 1.8मी), 01 चरही (5मी x 2मी), 01 पक्का कम्पोस्ट पिट (3मी x 1.5मी) एवं 01 सोक पिट (01मी0 व्यास, 01 मी0) बना हुआ है। टिन शेड के नीचे खड़ंजा है व शेष परसिर कच्चा है। गोवंश–आश्रय–स्थल चारों तरफ से लोहे की जालीदार तार से घिरा हुआ है। गोवंश–आश्रय–स्थल में समर्सिबल पम्प व विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। परिसर में बीमार एवं अशक्त गोवंशों को रखने के लिए अलग से किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
2. गोवंश–आश्रय–स्थल का मुख्य द्वार सड़क से काफी नीचे है। जब हम लोग निरीक्षण के लिए पहुँचे तब इसकी सफाई (गोबर उठाने) का कार्य दो महिलाएं कर रही थी। एक पुरूष खुले पशुओ को नियंत्रित कर रहा था। टिन शेड में बने खंडजे पर इतना गोबर जमा हुआ था कि खडंजे की ईटों को देख पाना मुश्किल था (संलग्नक–01)। इससे प्रतीत होता है कि गोवंश–आश्रय–स्थल की नियमित रूप से सफाई नही की जाती है। टिन–शेड के पष्चिम में बनी चरही के आस–पास के क्षेत्र में कीचड़ तथा गोबरयुक्त जलजमाव था। इसके दक्षिण दिशा में खुले में गोबर एकत्रित किया जा रहा था (संलग्नक–02)। गोवंश–आश्रय–स्थल में दूषित जल, एवं मूत्र निकासी की व्यवस्था अत्यन्त खराब है। गोवंश–आश्रय–स्थल के अन्दर जगह–जगह गढ्ढे हैं, जो कीचड़युक्त हैं। जालीदार फेंसिग के किनारे गढढा खोदा गया है जिसमें पानी भरा था तथा उसके

ऊपर काई जमी हुई थी। (संलग्नक 03)। प्रथम दृष्ट्या गोवंश–आश्रय–स्थल का परिवेश पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषणकारी एवं गोवंश तथा जन स्वास्थ्य के प्रतिकूल है।

3. गोवंश–आश्रय–स्थल से थोडी दूर पर आवासीय क्षेत्र है। स्थल के आस–पास कोई अस्पताल, विद्यालय व अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है।
4. ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जब वह प्रधान चुने गये थे, तब गोवंश–आश्रय–स्थल में केवल 75 गोवंश थे, लेकिन वर्तमान में इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कुल 150 गोवंश हैं। गणना पंजिका में दिनांक–22.09.23 तक 86 गोवंशों की उपस्थिति दर्ज है (संलग्नक 04)। इसके आगे की तिथियों में कोई प्रविष्टि नही की गई है। निरीक्षण के दौरान गणना करने पर गोवंश–आश्रय–स्थल में 129 गोवंश पाये गये। इसमें 39 गोवंश में टैग लगे थे। 78 बिना टैग के थे। 12 गोवंश ऐसे थे, जिनके कान में छेद तो था पर टैग नहीं था। इस प्रकार मौके पर उपलब्ध 129 गोवंशों में 78 बिना टैग के थे। विसंगतियों के विषय में पूछे जाने पर ग्राम विकास अधिकारी ने स्वीकार किया कि निरीक्षण की सूचना मिलने पर उन्होंने यह गणना पंजिका 02–03 दिन पूर्व ही बनायी है।
5. टैगिंग पंजिका के पृष्ठ संख्या 26, 27, 28 में कुल 82 गोवंशों की टैगिंग का विवरण अंकित है, लेकिन किसी की भी टैगिंग संख्या के सामने टैगिंग की तिथि अंकित नही है। टैगिंग से सम्बन्धित विवरण के ऊपर तथा शीर्षक से नीचे दिनांक 01.11.2022 अंकित है। जिससे यह प्रतीत होता है कि सारी टैगिंग उसी तिथि को की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तिथि बाद में अंकित की गई है, क्योंकि टैगिंग पंजिका में जो कॉलम बनाये जाते है उसमे एक कॉलम तिथि की होती है। आमतौर पर यह अपेक्षित होता है कि अलग–अलग, तिथियो पर गोवंश–आश्रय–स्थल पर गोवंशो की आमद होती रहेगी।
6. ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि 16 गोवंश जनसहभागिता के अन्तर्गत स्वयंसेवी गोपालकों को दिए गए हैं, परन्तु इसका उल्लेख न तो गणना पंजिका में है और न ही टैगिंग पंजिका में । उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत गोवंश प्राप्त करने वाले स्वयंसेवकों का पूरा विवरण (नाम, आधार संख्या, खाता संख्या इत्यादि) एवं गोवंश का विवरण टैग संख्या के साथ एक अलग पंजिका में अंकित किया जाता है।
7. ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने यह भी अवगत कराया कि गत वर्ष सर्दी में 13 गोवंशों की मृत्यु हुई थी, तदोपरान्त किसी गोवश की मृत्यु नही हुई है। परन्तु इसका उल्लेख भी किसी अभिलेख यथा गणना पंजिका, टैगिंग पंजिका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि में नही पाया गया है।
8. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कुल 04 गोपालक (श्री किशुन प्रसाद, श्रीमती विनीता देवी, श्री अरूण कुमार व श्रीमती कुसमा देवी) को कार्यरत बताया गया जिनको रू0 6000/– प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है।
9. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में गोवंशों के उपचार के लिए प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध नही हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक– 25.06.2023 को 68 गोवंशों का एच0एस0 एवं दिनांक– 20.09.2023 को एल0एस0डी0 टीकाकरण किया गया। गत वर्ष एफ0एम0डी0 का

भी टीकाकरण किया गया था, परन्तु टीकाकरण का कोई विवरण अभिलेखों में दर्ज नही है।

10. ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि फसल कटाई के समय गांव के किसानों से 150 क्विंटल भूसा, रू0 500 से 600 प्रति क्विंटल की दर से व बाहर के ठेकेदारों के माध्यम से 36 से 42 क्विंटल भूसा, रू0 800/– प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया था। 20 क्विंटल भूसा दान में मिला था, परन्तु उसका कोई विवरण अभिलेखों में दर्ज नही है। यह भी अवगत कराया गया कि हरे चारे के लिए ग्राम प्रधान अपनी 01 एकड़ जमीन पर नेपियर घास व्यक्तिगत रूप से दान के नजरिये से उगाते हैं। हरा चारा रू0 300/– प्रति क्विंटल के हिसाब से गाँव मे मिल जाता है। प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया बयान अभिलेखों से मेल नही खाता है। भूसा स्टॉक पंजिका में केवल 03 पेज थे (संलग्नक 05)। इसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूरे साल भूसा 900/– प्रति कुंतल की दर से खरीदा गया है तथा हरा चारा 600/– प्रति कुंतल की दर से खरीदा गया है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि भूसा गोवंश–आश्रय–स्थल के बाहर संग्रहीत किया जाता है।
11. निरीक्षण के दौरान निरीक्षण पंजिका, सुपुर्दीगीकरण पंजिका, हरे चारे की पंजिका या कैश–बुक उपलब्ध नही कराई गई। बताया गया कि ये पंजिकाएं नही बनायी गयी है। भूसा स्टॉक पंजिका त्रुटिपूर्ण व मनमाने ढंग से बनायी गई है। भूसा स्टॉक पंजिका के तीन पृष्ठों में जिन व्यक्तियों से भूसा खरीदना दर्शाया गया है, उनसे खरीदने की रसीद एवं उनको भुगतान किए जाने से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया।
12. निरीक्षण के दौरान एक मात्र चरनी के पास गोवंशो की भीड लगी थी, गोवंश अपने लिए चरनी में खाने की जगह बनाने के लिए दूसरे गोवंशो को सींग से मार रहे थे। 3–4 गोवंश के पृष्ठ भाग में सींग से आघात के ताजे घाव पाये गये। कुछ गोवंश का स्वस्थ्य काफी अच्छा था एवं कुछ का बहुत खराब था। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि खुले में जब गोवंशो के लिए सीमित मात्र में चरनी में आहार रखा जाता है, तो सबल पशु आगे बढ़कर उसे खा लेते है और दुर्बल पशु को आहार नहीं मिल पाता है। जिसके कारण दुर्बल पशु और भी दुर्बल होते चले जाते है। मौके पर गोवंशो मे एक मात्र चरनी तक पहुँचने की जो व्यकुलता थी, उससे ऐसा लग रहा था कि वास्तव में इन गोवंशो को यहाँ पूरा आहार नहीं मिलता है। चरनी में भूसे की जगह मात्र सूखा चारा था, हांलाकि अभिलेखो में भूसे एवं हरे चारे की आपूर्ति दर्शायी गयी है।
13. निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई कि अभी गोवंश–आश्रय–स्थल में उपलब्ध गोवंशो में से अधिकांश गांव के किसानो के हैं, जिन्हे निरीक्षण की जानकारी होन पर यहाँ ले आया गया है। ग्रामवासियों की शिकायत में बल है, क्योंकि गोवंश–आश्रय–स्थल पर गणना पंजिका की तुलना मे 43 गोवंश और टैगिंग पंजिका की तुलना में 47 गोवंश अधिक हैं। एक छोटी चरनी में इतने गोवंशो के खाने की व्यवस्था संभव नहीं है। मौके पर भूसा/हरा चारा के भण्डारण की व्यवस्था न होना, अभिलेखों का रख–रखाव ठीक से न किया जाना तथा परिसर में व्याप्त कीचड़ युक्त गंदगी इस बात के

प्रबल संकेतक है कि यहां पर इतने गोवंश नहीं रह रहे हैं। ग्रामिणों के द्वारा यह भी शिकायत की गई कि गोवंश–आश्रय–स्थल के गोवंशों को बाहर चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके खेतों में लगी फसलों का नुकसान होता है। गोपालक उनके साथ नहीं रहते हैं तथा उनके द्वारा उन्हें वापस गोवंश–आश्रय–स्थल पर नहीं लाया जाता है। अपनी फसल को बचाने के लिए ग्रामवासी स्वयं इन गोवंशों को हाँक कर वापस गोवंश–आश्रय–स्थल में लाते हैं। यह ग्रामीणों का लगभग प्रतिदिन की दिनचर्या हो गई है। यह शिकायत भी सही प्रतीत होती है। महिला गोपालकों की कार्य करने की शैली से ऐसा लग रहा था कि वे अपने कार्य से अन्जान है। इस प्रकार बचे हुए दो गोपालकों के द्वारा पूरे गोवंश–आश्रय–स्थल की साफ–सफाई एवं चारा आदि लगाना एक कठिन कार्य है। ऐसे में उनके द्वारा चरने जाने वाले पशुओं की देख–रेख कर पाना मुष्किल लगता है। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने यह बात स्वीकार की कि गोवंश चरने के लिए खेतो में जाते हैं। यह व्यवस्था शासनादेश के प्रतिकूल है।

14. इस गोवंश–आश्रय–स्थल का प्रबन्धन, यथा–साफ–सफाई, मूत्र एवं दूषित जल निस्तारण, गोबर निस्तारण व अभिलेखों के रख–रखाव, संतोषजनक नहीं है। अभिलेखों में वास्तविकता से अधिक गोवंशों को दिखाया जा रहा है। जो अल्पसंख्या में गोवंश हैं, उन्हें भी इस गोवंश–आश्रय–स्थल में रहने वाले गोवंशों के लिए स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध नहीं है। निरीक्षण के समय तो बहुत ही अधिक संख्या में बाहर से गोवंश ले आये गये थे। पूरी स्थिति को अपनी नजरों से देखकर उपस्थित जिला विकास अधिकारी ने इस गोवंश–आश्रय–स्थल के प्रबंधन को दुरूस्त कर गोवंशों को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01

संलग्नक–02

संलग्नक–03

संलग्नक–04

गौवंश गणना रजिस्टर

दिनांक	मादा गौवंश						नर गौवंश				कुल गौवंश की संख्या
	सूखी	दूध देती	गर्भित	01–03 वर्ष	01 वर्ष से कम	योग	03 वर्ष से अधिक	01–03 वर्ष	01 वर्ष से कम	योग	
31/7/23 तक	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
1/8/23 से 5/8/23 तक	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
6/8/23 से 10/8/23 तक	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
11/8/23 से 15/8/23 तक	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
16/8/23 से 20/8/23 तक	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
21/8/23 से 25/8/23 तक	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
26/8/23 से 31/8/23 तक	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
1/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
2/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
3/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
4/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
5/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
6/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
7/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
8/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
9/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
10/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
11/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
12/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
13/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
14/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
15/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86

BRIJESH & SONS ORAI, Mob- 9415169

गौवंश गणना रजिस्टर

दिनांक	मादा गौवंश						नर गौवंश				कुल गौवंश की संख्या
	सूखी	दूध देती	गर्भित	01–03 वर्ष	01 वर्ष से कम	योग	03 वर्ष से अधिक	01–03 वर्ष	01 वर्ष से कम	योग	
16/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
17/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
18/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
19/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
20/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
21/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86
22/9/23	46	4	16	8	–	76	4	6	–	10	86

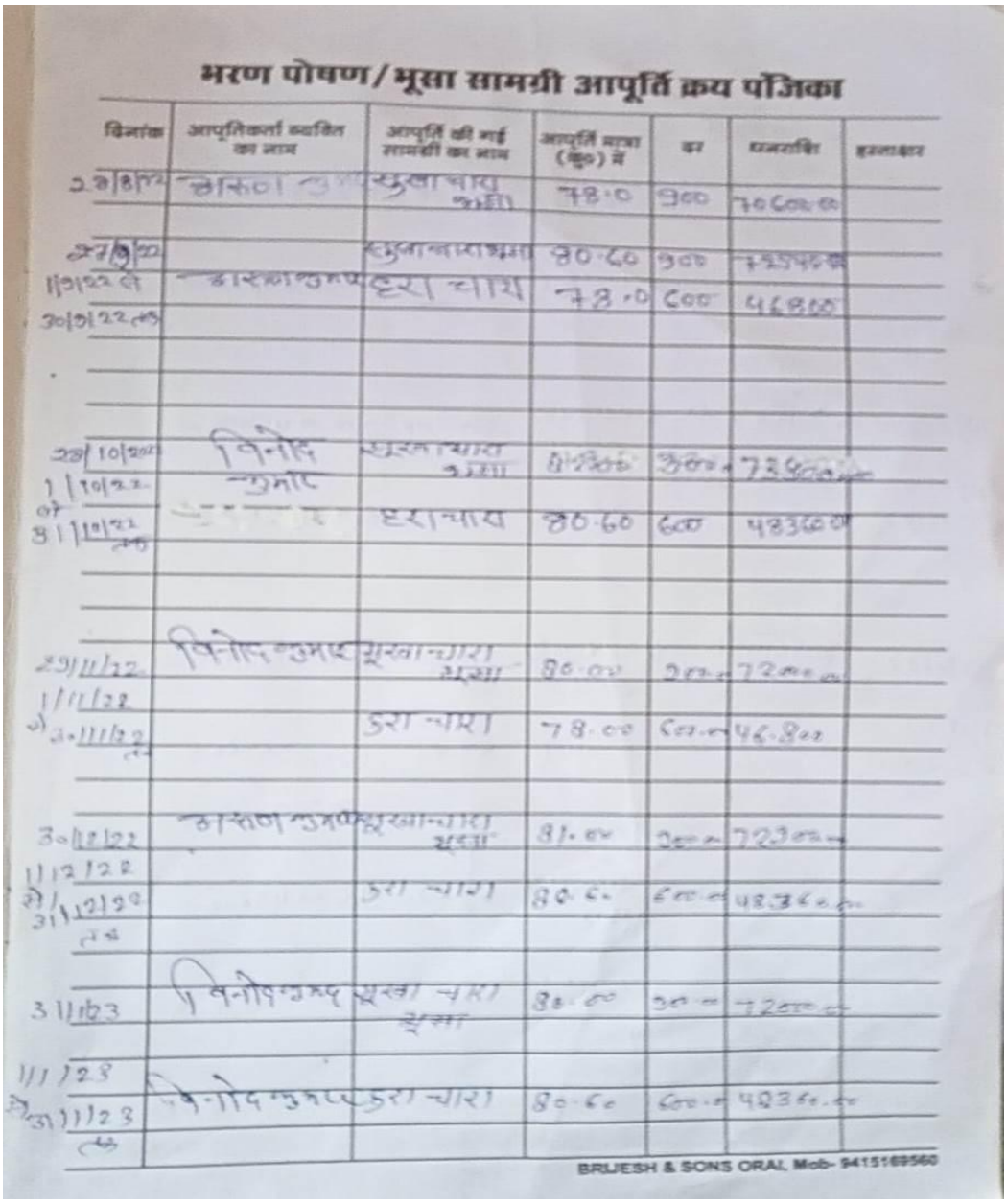

भरण पोषण/भूसा सामग्री आपूर्ति क्रय पंजिका

दिनांक	आपूर्तिकर्ता व्यक्ति का नाम	आपूर्ति की गई सामग्री का नाम	आपूर्ति मात्रा (कु०) में	दर	धनराशि	हस्ताक्षर
28/8/22	करुणा कुमार	सूखा चारा भूसा	78.0	900	70600.00	
27/9/22		सूखा चारा भूसा	80.60	900	72540.00	
1/9/22 से 30/9/22 तक	करुणा कुमार	हरा चारा	78.0	600	46800	
28/10/22	विनोद कुमार	सूखा चारा भूसा	[illegible]	900	73800.00	
1/10/22 से 31/10/22 तक		हरा चारा	80.60	600	48360.00	
29/11/22	विनोद कुमार	सूखा चारा भूसा	80.00	900.00	72000.00	
1/11/22 से 30/11/22 तक		हरा चारा	78.00	600.00	46800	
30/12/22	करुणा कुमार	सूखा चारा भूसा	81.00	900.00	72900.00	
1/12/22 से 31/12/22 तक		हरा चारा	80.60	600.00	48360.00	
31/1/23	विनोद कुमार	सूखा चारा भूसा	80.00	900.00	72000.00	
1/1/23 से 31/1/23 तक	विनोद कुमार	हरा चारा	80.60	600.00	48360.00	

BRIJESH & SONS ORAL Mob- 9415169560

संलग्नक–05

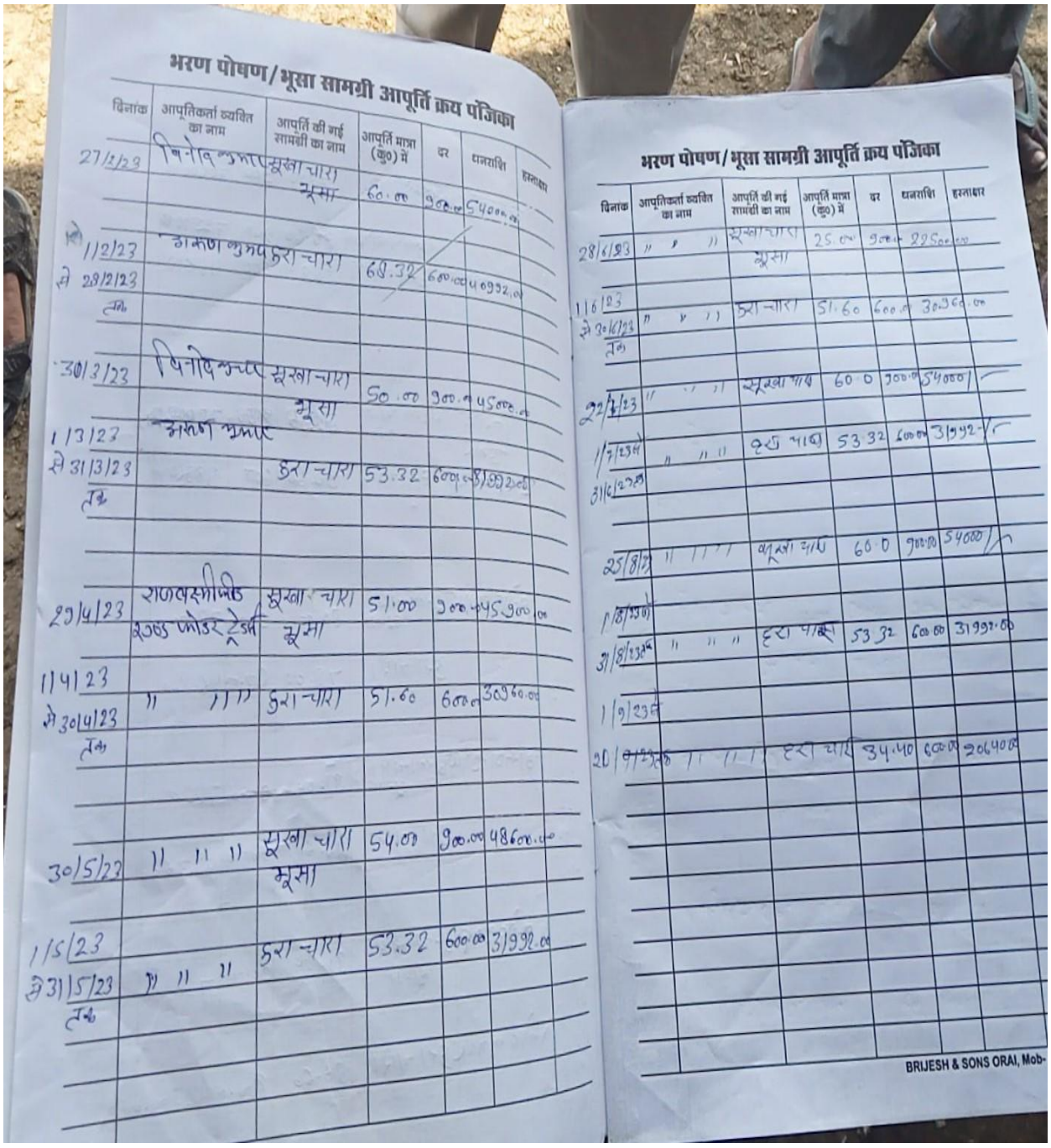

भरण पोषण/भूसा सामग्री आपूर्ति क्रय पंजिका

दिनांक	आपूतिकर्ता व्यवित का नाम	आपूर्ति की गई सामग्री का नाम	आपूर्ति मात्रा (कु0) में	दर	धनराशि	हस्ताक्षर
27/2/23	विनोद कुमार	सूखा चारा भूसा	60.00	900.00	54000.00	
1/2/23 से 28/2/23 तक	अरूण कुमार	हरा चारा	68.32	600.00	40992.00	
30/3/23	विनोद कुमार	सूखा चारा भूसा	50.00	900.00	45000.00	
1/3/23 से 31/3/23 तक	अरूण कुमार	हरा चारा	53.32	600.00	31992.00	
29/4/23	राजलक्ष्मी फोडर ट्रेडर्स	सूखा चारा भूसा	51.00	900.00	45900.00	
1/4/23 से 30/4/23 तक	" " "	हरा चारा	51.60	600.00	30960.00	
30/5/23	" " "	सूखा चारा भूसा	54.00	900.00	48600.00	
1/5/23 से 31/5/23 तक	" " "	हरा चारा	53.32	600.00	31992.00	

भरण पोषण/भूसा सामग्री आपूर्ति क्रय पंजिका

दिनांक	आपूतिकर्ता व्यवित का नाम	आपूर्ति की गई सामग्री का नाम	आपूर्ति मात्रा (कु0) में	दर	धनराशि	हस्ताक्षर
28/6/23	" " "	सूखा चारा भूसा	25.00	900.00	22500.00	
1/6/23 से 30/6/23 तक	" " "	हरा चारा	51.60	600.00	30960.00	
22/7/23	" " "	सूखा चारा	60.0	900.00	54000/-	
1/7/23 से 31/7/23	" " "	हरा चारा	53.32	600.00	31992/-	
25/8/23	" " "	भूसा चारा	60.0	900.00	54000/-	
1/8/23 से 31/8/23	" " "	हरा चारा	53.32	600.00	31992.00	
1/9/23 से 20/9/23 तक	" " "	हरा चारा	34.40	600.00	20640.00	

BRIJESH & SONS ORAI, Mob-

Annexure-38

ग्राम पंचायत – लोहई, विकास खण्ड – नदीगांव, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 26.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ग्राम पंचायत लोहई स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2– श्री गौरव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, नदीगांव ।
3– श्री देवेन्द्र निरंजन, सहायक विकास अधिकारी(आई0एस0डी0), नदीगांव ।
4– डा0 रविन्द्र सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, नदीगांव ।
5– श्री मनीष कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी, नदीगांव
6– श्री विवेक गौड़, ग्राम विकास अधिकारी, लोहई।
7– श्रीमती माधवी राजा, ग्राम प्रधान लोहई के प्रतिनिधि।
8– श्री कृपा राम व 02 अन्य गोपालक।

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल लगभग 5 वर्षो से ग्रामसभा की भूमि पर संचालित होना बताया गया। इस गोवंश स्थल में 01 टिन शेड (12.2मी0 x 9.1मी0), टिन शेड के बाहर 01 निर्माणाधीन चरनी (7.6 मी0 x 1.5 मी0), 01 चरही (3मी0 x 3मी0) व 01 पक्का कम्पोस्ट पिट (5मी0 x 2मी0) बनाया गया है। टिन शेड के नीचे खडंजा है व शेष परिसर कच्चा है, जो कि कीचड़ से परिपूर्ण है। टिन शेड के आधे भाग को टिन की चादर से घेर कर भूसा स्टॉक करने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा था (संलग्नक 01)। इसके अन्दर भूसा का अतिअल्प स्टाक था, जिसकी गुणवत्ता बहुत खराब थी। देखने से यह भूसा जिसमें भूसा खाने योग्य नहीं लगा। वास्तव में इस पूरे परिसर में गोवंशों के खाने के लिए कोई चरनी या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिखी। गोपालक द्वारा बताया गया कि गोवंशों को चारा जमीन पर ही डालकर खिलाया जाता है, किन्तु मौके पर कोई ऐसा स्थल नहीं मिला जहाँ पर जमीन पर भूसा का कोई अवशेष दिख रहा हो।
2. गोवंश–आश्रय–स्थल चारों तरफ से जालीदार तारों से घिरा हुआ है। गोवंश–आश्रय–स्थल में विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। गोवंश के पीने के लिए पानी थोड़ी दूर स्थित ट्यूबवेल से मोटे पाइप के द्वारा लाया जाता है और चरही में भरा जाता है। इस चरही के चारो ओर कीचड़ ही कीचड़ व्याप्त था। निर्माणाधीन चरनी के चारो ओर भी कीचड़ व्याप्त था। परिसर में बीमार एवं अशक्त गोवंशों को रखने के लिए अलग से किसी भी प्रकार के शेड की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
3. गोवंश–आश्रय–स्थल के आस–पास आवासीय क्षेत्र, अस्पताल, विद्यालय या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नही है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में गोबर निस्तारण, दूषित जल निकासी

व मूत्र निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गोबर एवं दूषित जल का निस्तारण खुले सें ही किया जा रहा है (संलग्नक–02)। सम्पूर्ण परिसर कच्चा होने के कारण जगह–जगह कीचड़ व गन्दगी व्याप्त है तथा किनारे–किनारे जलजमाव क्षेत्र है (संलग्नक–03)। प्रथम दृष्ट्या गोवंश–आश्रय–स्थल की स्थिति पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषणकारी है।

4. ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कुल 120 गोवंश है, जबकि गणना पंजिका में दि0–24.09.2023 तक कुल 98 गोवंश (69 मादा व 29 नर) अंकित हैं। गणना पंजिका में दिनांक 04.09.2023 को 11 गोवंशों को लाया गया दर्शाया गया है। गणना पंजिका में गोवंशों की संख्या तिथियों के अन्तराल पर लिखी गयी है, किन्तु यह अन्तराल एक समान नही है (संलग्नक–04)। गणना पंजिका में दिनांक 16.03.2023 से 27.03.2023 के मध्य गोवंशों की संख्या 87 अंकित है, जबकि निरीक्षण पंजिका में पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिनांक 25.03.2023 को किये गये निरीक्षण में 105 गोवंशों के होने का अंकन किया गया है। दिनांक 20.05.2023 को भी निरीक्षण के समय पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा यही गोवंश संख्या अंकित की गई है, जबकि इस अवधि में भी गणना पंजिका में 87 गोवंश ही अंकित हैं (संलग्नक–05)। खण्ड विकास अधिकारी के निरीक्षण के समय दिनांक 15.06.2023 को निरीक्षण पंजिका में 103 गोवंशों का उपलब्ध होना अंकित किया गया है, जबकि इस तिथि में गणना पंजिका में कुल मात्र 87 गोवंश अंकित हैं (संलग्नक–06)। इस अन्तर के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा अंकित की गयी अपनी निरीक्षण टिप्पणी में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है। खण्ड विकास अधिकारी की निरीक्षण टिप्पणी (संलग्नक–06) अत्यन्त सूक्ष्म है, जिसमें केवल टाट–पट्टी एवं छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर व्याप्त त्रुटियों की ओर खण्ड विकास अधिकारी का ध्यान न जाना तथा उनके द्वारा अभिलेखों की जांच न करना उनकी कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। गोवंश–आश्रय–स्थल की दुर्दशा के लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी, जितना उत्तरदायी हैं, उससे कहीं अधिक उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी प्रतीत होते हैं।
5. टैगिंग पंजिका के पृष्ठ संख्या 29 व 30 पर 54 गोवंशों की टैगिंग का विवरण अंकित है, परन्तु टैगिंग की तिथि अंकित नही की गयी है। निरीक्षण के दौरान गोवंश–आश्रय–स्थल में उपलब्ध गोवंशों की गणना की गई। गणना में कुल 92 गोवंश पाये गये जिनमें 38 गोवंश टैग किए हुए थे। 04 गोवंश ऐसे थे, जिनके कानों में छेद तो था पर टैग नहीं था। 50 गोवंश बिना टैग थे। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा टैगिंग पंजिका का समुचित ढ़ंग से न रखना तथा बड़ी संख्या में बिना टैगिंग के गोवंशों के होने की स्थिति पर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका।
6. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में गोवंशों के लिए प्राथमिक उपचार किट की कोई व्यवस्था उपलब्ध नही है। पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक– 30.06.2023 को 81 गोवंशों का एच0एस0 टीकाकरण, दिनांक– 27.06.2023 को 76 गोवंशों का एल0एस0डी0

टीकाकरण व दिनांक– 16.08.2023 को डी–वार्मिंग कराई गई है। यह संख्या गणना पंजिका में अंकित गोवंशों से काफी भिन्न है। यह भिन्नता दर्शाता है कि अभिलेखों का रखरखाव विधिवत नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण की सूचना मिलने पर इसे आनन–फानन में सभी सम्बन्धितों ने अपने–अपने स्तर से तैयार कर लिया है।

7. प्रधान प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि गोवंश–आश्रय–स्थल में किसी भी गोवंश की मृत्यु नही हुई है, जबकि पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 4 गोवंशों की मृत्यु हुई है। यह भी बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में किसी भी गोवंश को सहभागिता योजना के तहत सुपुर्द नही किया गया है।
8. ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कुल 02 गोपालक (श्री विनोद व श्री गुलाब) कार्यरत हैं, जिनको रू0 6000/– प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है।
9. दैनिक भरण–पोषण पंजिका में दिनांक– 01.10.2021 से अंकन किया गया है, परन्तु दिनांक– 20.10.2021 के बाद इसमें कोई विवरण अंकित नही है, पुनः दिनांक– 01.09.2022 से अंकन आरम्भ किया गया है। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि गोवंश के लिए प्रतिदिन 02 ट्रॉली भूसा लाया जाता है, जिसमें 4 से 5 क्विंटल भूसा आता है। हरे चारे को ग्राम प्रधान के द्वारा अपने खेत में व 02 एकड़ भूमि किराये (किराया राशि रू 30000/–) पर लेकर उगाया जाना बताया गया, परन्तु उसका कोई विवरण अभिलेखों में दर्ज नहीं है। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा दिया गया बयान, अभिलेखों में दर्ज आकड़ों की पुष्टि नही करता है।
10. ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा भूसा रू0 1000/– प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाता है, परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वह यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि क्यों अन्य गोवंश–आश्रय–स्थलों की भाँति वह भी कटाई सीजन में भूसा खरीद लेते हैं, ताकि सस्ता पड़े। पूर्व में उन्होंने बताया था कि उन्होनें हरे चारे किराये की जमीन पर उगाया है, परन्तु दैनिक भरण–पोषण–पंजिका में रू0 3/– प्रतिकिलो की दर से हरे चारे का भाव अंकित किया है।
11. निरीक्षण के दौरान गोवंश–आश्रय–स्थल परिसर में पड़े हुए सफेद रंग के गोबर (प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध) की स्थिति के सम्बन्ध में पूछे जाने पर पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि जब गोवंशों को आहार में भूसा नही दिया जाता है तथा केवल हरा चारा ही खिलाया जाता है, तब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है (संलग्नक 07)। उन्होंने यह भी बताया कि इस गोबर में रेशा (रफेज) की मात्रा नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गोवंश–आश्रय–स्थल केवल कागजों में चल रहा है। परिसर में उपलब्ध भूसा खाने के योग्य न होना, खाने के लिए चरनी आदि की कोई व्यवस्था न होना, पानी पीने के लिए व्यवस्था न होना, गोबर में रेशे का न होना तथा पूरे परिसर में कीचड़ युक्त जल व्याप्त होना इस बात का प्रमाण है कि यह गोवंश–आश्रय–स्थल वास्तव में संचालित नहीं है और यदि संचालित है भी, तो वास्तविक पशु

संख्या बहुत कम (अधिकतम 42) हैं, जो केवल बाहर के चारे पर ही निर्भर हैं। उन्हें परिसर में कोई आहार नहीं दिया जा रहा है। अभिलेखों में दर्शाये गये गोवंश, बहुत ज्यादा है जिसके आधार पर शासकीय धन निकाल कर उसका दुरूपयोग किया जा रहा है।

12. दैनिक भरण–पोषण–पंजिका के अनुसार दिनांक 31.08.2023 तक प्रतिदिन 1.74 क्विण्टल भूसा एवं 3.48 क्विण्टल हरे चारे का अंकन हुआ है। इसे 01.09.2023 से बढ़ा कर के 1.96 क्विण्टल भूसा एवं 3.92 क्विण्टल हरा चारा कर दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि दिनांक 01.09.2023 से भूसा एवं हरे चारे की मात्रा क्यों बढ़ाई गयी। गणना पंजिका के अनुसार दिनांक 04.09.2023 को 11 नये गोवंश का इस स्थल पर आगमन दर्शाया गया है। यदि यह सही है तो भूसा एवं हरे चारे में वृद्धि दिनांक 04.09.2023 से होनी चाहिए थी। ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए यह अभिलेख तैयार किया गया है। निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों ने शिकायत की कि गोवंश–आश्रय–स्थल के गोवंशों को चरने के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है, जिससे उनकी फसलों का नुकसान होता है। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि को अवगत कराया गया कि शासनादेशानुसार गोवंशों को आश्रय–स्थल पर रख कर ही उसका भरण–पोषण करने की व्यवस्था है। ऐसे खुले में चरने के लिए भेजा जाना शासनादेश का उल्लंघन होने के साथ साथ उस उद्देश्य को भी विफल करता है, जिसके लिए गोवंश–आश्रय–स्थल स्थापित किए गए हैं। ग्रामवासियों को सुझाव दिया गया कि भविष्य में यदि स्थिति में सुधार न हो तो इसकी शिकायत जिलाधिकारी, जालौन से करें।

13. **निष्कर्ष–** इस गोवंश–आश्रय–स्थल का संचालन पर्यावरणीय नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार नही हो रहा है। पूरे परिसर में खुले में गन्दगी (गोबर, गोमूत्र, प्रदूषित जल एवं कीचड़) व्याप्त है। गोवेशों को खिलाने, पानी पिलाने, छाया प्रदान करने की कोई सुविधा नहीं है। जिससे इस आश्रय–स्थल का संचालन संदिग्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिन में गोवंश खेतों में चरते हैं और शाम में उन्हें इस आश्रय–स्थल के अन्दर कर दिया जाता है। अभिलेखों का रख–रखाव, तो अत्यंत ही असंतोषजनक है। इन त्रुटियों को तत्काल निराकरण किये जाने की आवश्यकता है।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01

संलग्नक–02

संलग्नक–03

संलग्नक–04

दैनिक गौवंश का संख्यात्मक विवरण

2023

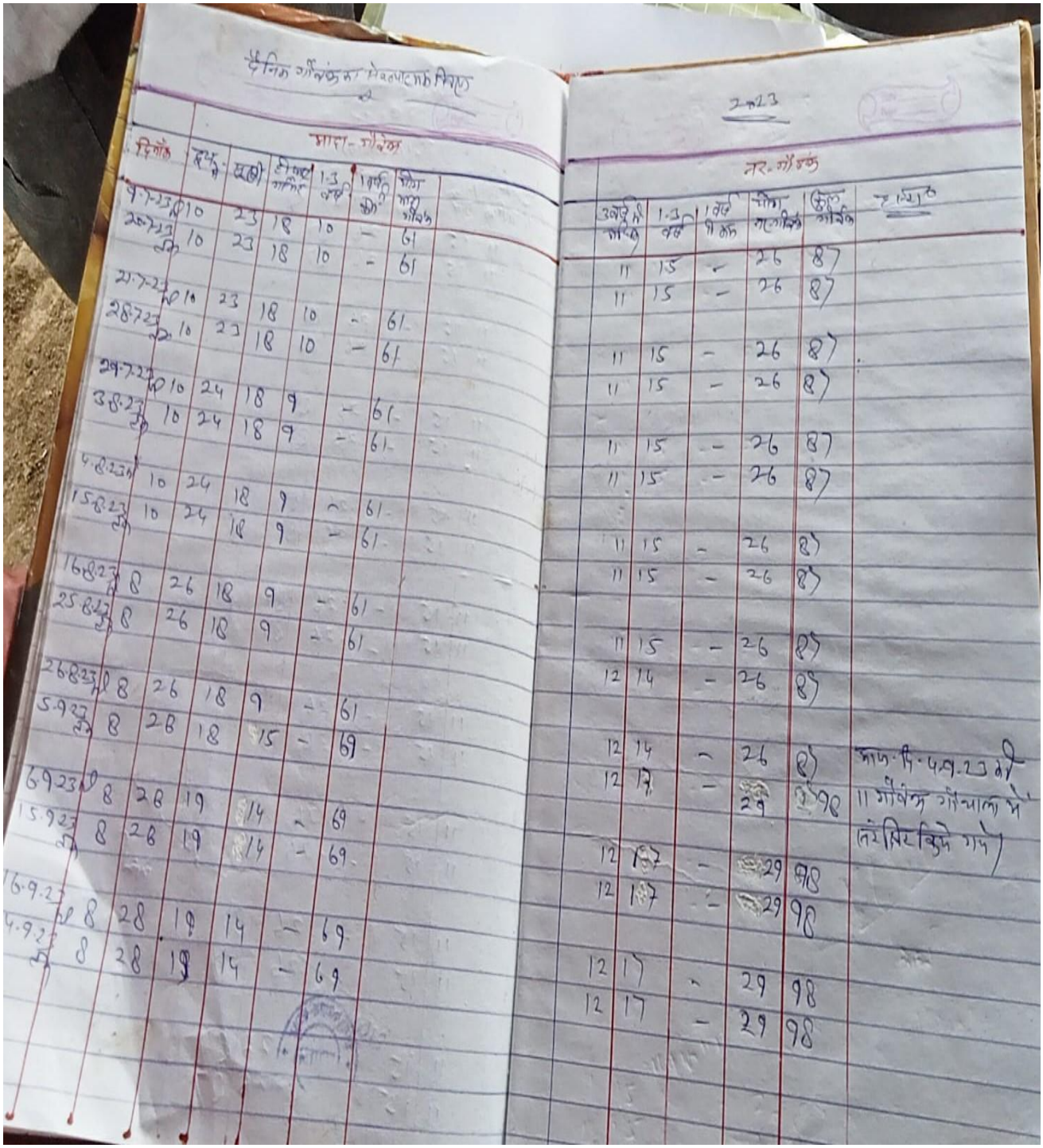

दिनांक	मादा-गौवंश: दुधारू	सूखी	गाभिन	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	योग मादा गौवंश	नर-गौवंश: उपयोगी नर	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	योग नर गौवंश	कुल गौवंश	टिप्पणी
9.7.23 से	10	23	18	10	–	61	11	15	–	26	87	
20.7.23 तक	10	23	18	10	–	61	11	15	–	26	87	
21.7.23 से	10	23	18	10	–	61	11	15	–	26	87	
28.7.23 तक	10	23	18	10	–	61	11	15	–	26	87	
29.7.23 से	10	24	18	9	–	61	11	15	–	26	87	
3.8.23 तक	10	24	18	9	–	61	11	15	–	26	87	
4.8.23 से	10	24	18	9	–	61	11	15	–	26	87	
15.8.23 तक	10	24	18	9	–	61	11	15	–	26	87	
16.8.23 से	8	26	18	9	–	61	11	15	–	26	87	
25.8.23 तक	8	26	18	9	–	61	11	15	–	26	87	
26.8.23 से	8	26	18	9	–	61	11	15	–	26	87	
5.9.23 तक	8	28	18	15	–	69	12	14	–	26	87	
6.9.23 से	8	28	19	14	–	69	12	14	–	26	87	आज दि. 4.9.23 को 11 गौवंश गौशाला में स्थानांतरित किये गये
15.9.23 तक	8	28	19	14	–	69	12	17	–	29	98	
16.9.23 से	8	28	19	14	–	69	12	17	–	29	98	
4.9.2[illegible] तक	8	28	19	14	–	69	12	17	–	29	98	
							12	17	–	29	98	
							12	17	–	29	98	

9

निरीक्षणकर्ता अधिकारी	पद नाम	निरीक्षण आख्या
विवेक कुमार	ग्रा०वि०अधि०	आज दिनांक 5-3-23 निरीक्षण किया तथा सर्दी से बचाव हेतु गौवंशों की टाट बोरे लगाने के निर्देश दिए चारा भूसा पर्याप्त पाया गया
मनोज कुमार	ए.डी.ओ	आज दिनांक 15-03-23 को गोशाला का निरीक्षण किया गया जिसमें गौसेवकों को साफ सफाई के निर्देश दिए गये।
डॉ० आर पी सिंह	पशु चिकित्सा अधिकारी	आज दिनांक 25-3-23 को गोशाला का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें 105 गौवंश सही पाए गए तथा पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया बीमार पशुओं का इलाज किया गया
विवेक कुमार	ग्रा०वि०अधिकारी	आज दिनांक 12-04-23 को गोशाला का निरीक्षण किया गया जिसमें पशुओं को हरा चारा एवं छाया की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए गये
डॉ० आर पी सिंह	पशु चिकित्सा अधिकारी	आज दिनांक 20-4-23 को गोशाला का निरीक्षण किया गया जिसमें पशुओं को अच्छी छाया और एवं टाट [illegible] के निर्देश दिए गये।

निरीक्षण कर्ता अधिकारी	पद	निरीक्षण आख्या
विवेक कुमार	ग्रा०वि०अधिकारी	आज दिनांक 2-5-23 को गोशाला का औचक निरीक्षण किया गया पशुओं को समुचित इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए गये
विवेक कुमार	ग्राम वि० अधिकारी	आज दिनांक 10-5-23 को गोशाला का निरीक्षण किया गया छाया का इन्तजाम किए गए एवं स्वच्छ पानी के निर्देश दिए
[illegible]	पशु चिकित्सा अधिकारी	आज दिनांक 20-5-23 को गोशाला का निरीक्षण किया गया जिसमें 105 गौवंश पाए गये तथा बीमार गौवंशों का इलाज किया गया
मनोज कुमार	ए.डी.ओ	आज दिनांक 30-5-23 को गोवंश का निरीक्षण किया गया गोशाला का [illegible] किया गया।
विवेक कुमार	ग्रा०वि०अधिकारी	आज दिनांक 2-6-23 को गोशाला का निरीक्षण किया गया मौके पर 100 गौवंश मिले तथा पशुचिकित्सक द्वारा 40 पशु को टीके लगाए गए

संलग्नक–05

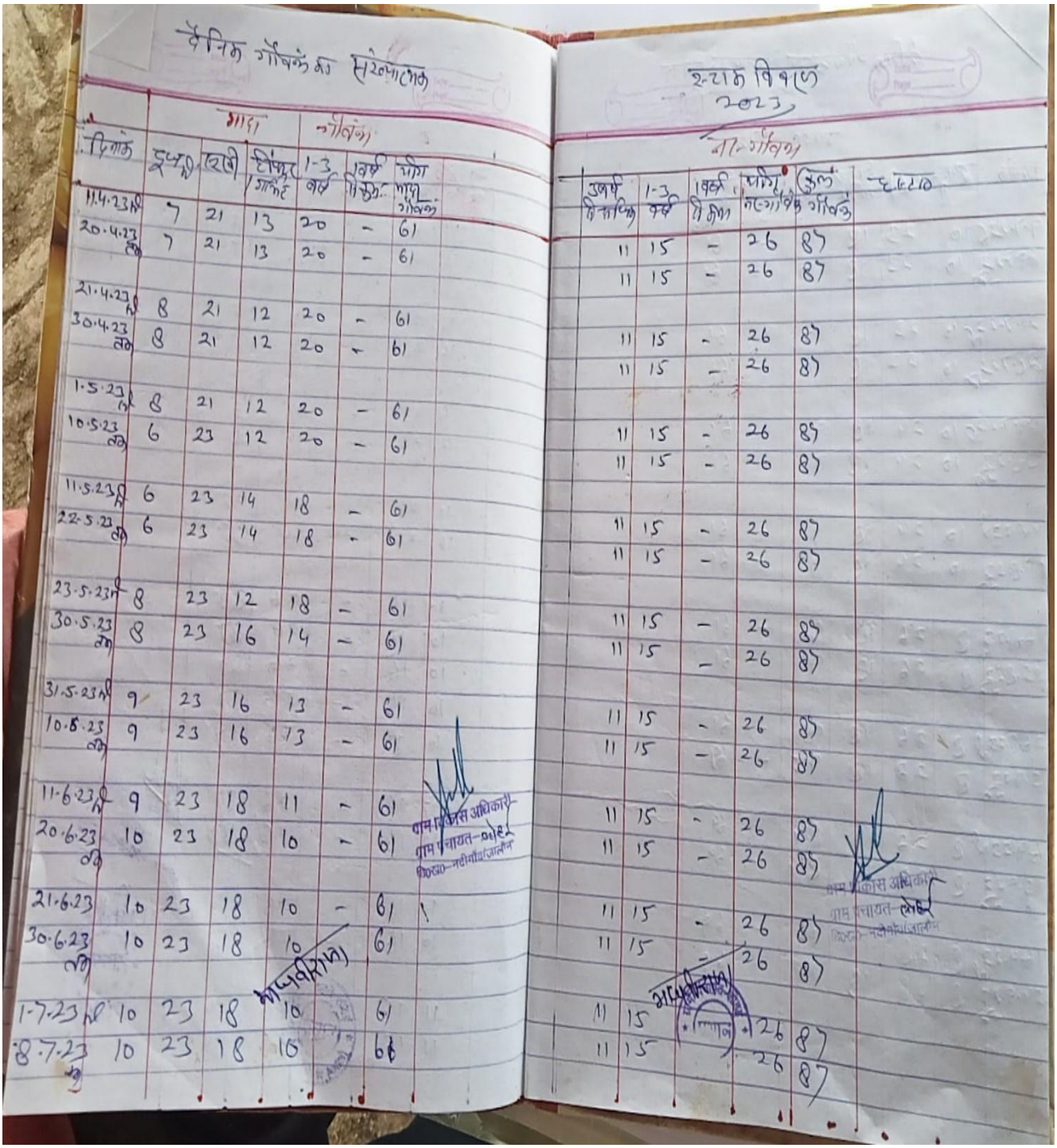

दैनिक गौवंश का संरक्षण

स्टाक विवरण 2023

दिनांक	दूधारू	[illegible]	[illegible]	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	योग मादा गौवंश	1 वर्ष से अधिक	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	[illegible]	कुल गौवंश	[illegible]
11.4.23 से	7	21	13	20	–	61	11	15	–	26	87	
20.4.23 तक	7	21	13	20	–	61	11	15	–	26	87	
21.4.23 से	8	21	12	20	–	61	11	15	–	26	87	
30.4.23 तक	8	21	12	20	–	61	11	15	–	26	87	
1.5.23 से	8	21	12	20	–	61	11	15	–	26	87	
10.5.23 तक	6	23	12	20	–	61	11	15	–	26	87	
11.5.23 से	6	23	14	18	–	61	11	15	–	26	87	
22.5.23 तक	6	23	14	18	–	61	11	15	–	26	87	
23.5.23 से	8	23	12	18	–	61	11	15	–	26	87	
30.5.23 तक	8	23	16	14	–	61	11	15	–	26	87	
31.5.23 से	9	23	16	13	–	61	11	15	–	26	87	
10.6.23 तक	9	23	16	13	–	61	11	15	–	26	87	
11.6.23 से	9	23	18	11	–	61	11	15	–	26	87	
20.6.23 तक	10	23	18	10	–	61	11	15	–	26	87	
21.6.23	10	23	18	10	–	61	11	15	–	26	87	
30.6.23 तक	10	23	18	10		61	11	15	–	26	87	
1.7.23 से	10	23	18	10		61	11	15	–	26	87	
8.7.23 तक	10	23	18	10		61	11	15		26	87	

संलग्नक–06

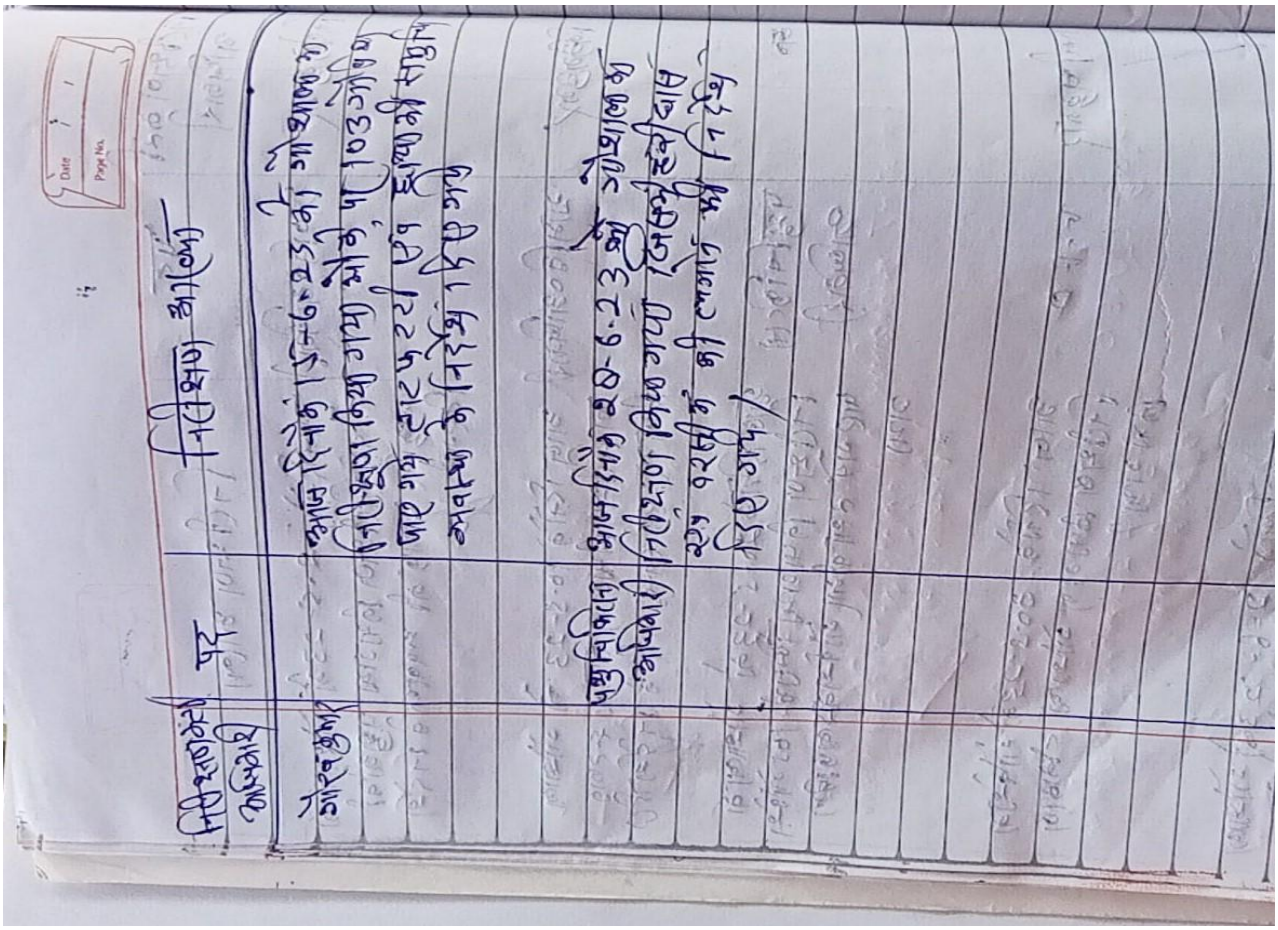

निरीक्षणकर्ता अधिकारी	पद	निरीक्षण आख्या
गौरव कुमार		आज दिनांक 15-6-23 को गोशाला का निरीक्षण किया गया जो कि मौके पर 103 गोवंश पाए गये चारा भूसा एवं छाया की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिये गये
पशुचिकित्सा अधिकारी		आज दिनांक 28-6-23 को गोशाला का निरीक्षण किया गया जिसमें [illegible] 22 पशुओं के [illegible] का लगाने के निर्देश दिये गये/

संलग्नक–07

Annexure-39

ग्राम पंचायत–घिलौर, विकास खण्ड– नदीगांव, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 26.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ग्राम पंचायत–घिलौर स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2– श्री गौरव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, नदीगांव ।
3– श्री देवेन्द्र निरंजन, सहायक विकास अधिकारी(आई0एस0डी0), नदीगांव ।
4– डा0 रविन्द्र सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, नदीगांव ।
5– श्री विवेक गौड़, ग्राम विकास अधिकारी, घिलौर ।
6– श्री मनीष कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी, नदीगांव।
7– श्री बुद्वि सिंह, ग्राम प्रधान घिलौर।
8– श्री कृपा राम व 02 अन्य गोपालक।

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल 3 वर्षों से ग्राम सभा की भूमि पर संचालित होना बताया गया। इस गोवंश स्थल में 01 टिन शेड (12.2मी0 x 9.1मी0), खुले में दोनों तरफ से खाने के लिए उपयुक्त 01 चरनी (12मी0 x 1.5मी0), 01 चरही (06मी0 x 2मी0), 02 कम्पोस्ट पिट (प्रत्येक 3मी0 x 2मी0) व 01 सोक पिट बने हुए हैं। टिन शेड के नीचे खडंजा है व शेष परिसर कच्चा है। आश्रय स्थल चारों तरफ से जालीदार तारों से घिरा हुआ है। परिसर में बनी चरनी के किनारे बने खड़ंजा का कुछ भाग टूटा/उखड़ा हुआ पाया गया, जिसके आस–पास ईंट के टुकड़े पड़े हुए थे। चरनी से सटे कुछ भाग में कीचड़ पाया गया (संलग्नक 01)। गोवंश–आश्रय–स्थल में समर्सिबल पम्प तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन कोई चारा मशीन या भूसा/चारा भण्डारण की व्यवस्था नही है। परिसर में बीमार एवं अशक्त गोवंशों को रखने के लिए अलग से शेड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। परिसर में लगी घेराबंदी के बाहर 02 कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया गया है, जिसमें सूखा गोबर भरा हुआ था। इसके अतिरिक्त परिसर में ही एक किनारे में खुले में गोबर एकत्र किया जा रहा था (संलग्नक–02)।

2. आश्रय स्थल के पास ही आवासीय क्षेत्र है, परन्तु कोई अस्पताल/विद्यालय अथवा अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नही है। परिसर के पूर्वी भाग के लगभग आधे क्षेत्र में जलजमाव है, जिसके कुछ भाग पर हाल में मिट्टी डाली जा रही थी। यह कार्य 2–3 दिन पूर्व ही आरम्भ हुआ था। परिसर में जगह–जगह पर गोबर एवं कीचड़युक्त गंदगी व्याप्त है (संलग्नक–03)।

3. दैनिक गोवंश संख्यात्मक स्टॉक पंजिका में दिनांक 01.09.2022 से गोवंशों की उपस्थिति से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ अंकित की गई हैं। शीर्षक में 'दैनिक गोवंश का संख्यात्मक स्टॉक विवरण' दर्शाया गया है और यह विवरण दैनिक रूप से मात्र 10.09.2022 तक अंकित किया गया है। इसके पृष्ठ–3 पर दिनांक 11.09.2022 से प्राविष्टियाँ अलग–अलग अन्तरालों के लिए दर्ज की गयी हैं (संलग्नक–04)। प्रविष्टियाँ अंकित करने के लिए समय का जो अन्तराल लिया गया है, वह एक समान नही हैं। इनमें से कई लगातार अन्तरालों में गोवंशों की संख्या में कोई अन्तर भी नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में कई अन्तरालों की इस पूरी अवधि को एक अन्तराल में डाला जा सकता था। यूँ तो, प्रत्येक दिन गोवंश संख्या सम्बन्धी पूरा विवरण अंकित किया जाना चाहिए। दैनिक गोवंश संख्यात्मक स्टॉक पंजिका के पृष्ठ संख्या 07 पर दिनांक 14.03.2023 से 31.03.2023 तक 102 गोवंशों का होना अंकित है, जो दिनांक 01.04.2023 को घटकर 95 हो गया। तब से दिनांक 20.07.2023 तक गोवंशों की यह संख्या विभिन्न अन्तरालों में अंकित की गयी है। इसके पृष्ठ–9 पर दिनांक 21.07.2023 से 25.09.2023 तक की अवधि में कई अन्तरालों में गोवंशों की संख्या लगातार 95 अंकित की गयी है। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि संख्या घटने का कारण गोवंशों की मृत्यु होना या सुपुर्दगी नही है, बल्कि गोवंशों

का चरने के लिए बाहर जाकर वापस न आना है। उनका यह कथन अभिलेखों से पुष्ट नहीं होता है, क्योंकि लम्बी अवधि तक गोवंशों की संख्या एक ही अंकित की गई है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा गोवंशों को प्रतिदिन चरने के लिए बाहर भेजा जाना स्वीकार किया गया। जिस स्थान से गोवंश को आहार मिलता हो चरने के बाद वे बड़ी संख्या में उस स्थान पर शाम को लौट कर न आयें, यह एक असंभाव्य स्थिति है। इस पंजिका के सभी पृष्ठों पर 'लॉग–बुक/2022–23' लिखा गया है, जब कि पृष्ठ–7 की प्रविष्टि वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 तथा पृष्ठ–9 की प्रविष्टि वर्ष 2023–24 से सम्बन्धित है। उक्त विसंगतियों से यह स्पष्ट है कि अभिलेख नियमित ढ़ंग से नहीं रखे गये हैं, बल्कि निरीक्षण को ध्यान में रख कर जल्दी जल्दी में बनाये गये हैं।

4. ग्राम प्रधान के द्वारा अवगत कराया गया कि जनसहभागिता के अन्तर्गत जब व्यक्ति गोवंश मांगने आता है तो उसको दे दिया जाता है, परन्तु इसका कोई उल्लेख अभिलेखों में नही किया जाता है। ग्राम प्रधान ने बताया कि इस आश्रय स्थल में किसी भी गोवंश की मृत्यु नही हुई है।

5. निरीक्षण के दौरान टैगिंग पंजिका नही दिखायी गई, बल्कि टैगिंग की सूची दिखायी गई जिसमें क्रम संख्या 2565 से लेकर 2635 तक कुल 71 गोवंशों की टैगिंग किए जाने का विवरण है। इसमें भी टैगिंग की तिथि का कोई उल्लेख नही हैं। निरीक्षण के दौरान गोवंश–आश्रय–स्थल में उपलब्ध गोवंशों की गणना करने पर गणना पंजिका में अंकित 95 गोवंशों के सापेक्ष मात्र 33 गोवंश पाये गये। उसमें से केवल 10 गोवंश टैग किए हुए थे। 16 ऐसे थे जिन पर कोई टैग नही था। 07 गोवंश ऐसे पाये गये जिन पर टैग तो नही था पर कान में छेद था। इस प्रकार निरीक्षण के दौरान आश्रय स्थल पर 33 में से 16 गोवंश बिना टैग के पाये गये। पंजिका में अंकित गोवंश संख्या, मौके पर पायी गयी संख्या में इतने बड़े अन्तर के सम्बन्ध में पूछे जाने पर ग्राम प्रधान के द्वारा अवगत कराया गया कि दो दिन पूर्व रात्रि में जब परिसर में ट्रैक्टर से मिट्टी डालने का कार्य हो रहा था तब गेट थोड़ी देर के लिए खुले रह जाने के कारण आश्रय स्थल के कई गोवंश बाहर भाग गये व निरीक्षण के समय तक परिसर में लौट कर नही आये। उन्होंने स्वीकार किया कि भागे हुए गोवंशों को खोजने या वापस लाने के लिए उन्होंनें कोई प्रयास अभी तक नहीं किया है।

6. ग्राम प्रधान ने यह भी बताया कि मौके पर भूसा/हरा चारा के भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण वह प्रत्येक दिन अपने ट्रैक्टर से ही सुबह और शाम में बड़ी–बड़ी जालियों में भूसा/हरा चारा ट्रैक्टर की ट्राली से भिजवाते हैं। ट्रैक्टर को बाहर खड़ा कर, गोपालकों द्वारा भूसा/हरा चारा की जालियाँ माथे पर ढोकर अन्दर लाकर चरनी में डाला जाता है। गोपालको ने भी चारा लाने की इस दैनिक प्रकिया की स्वीकृति की। ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि इस आश्रय स्थल में कुल 03 गोपालक (श्री कृपाराम, श्री बब्बू एवं श्री रामस्वरूप) कार्यरत है, जिनको रू0 6000/– प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है। गोवंश–आश्रय–स्थल में कार्यरत गोपालकों में से ही एक ट्रैक्टर चालक भी है। गोपालकों ने यह भी स्वीकार किया कि दिन में दो बार चारा लाने की प्रक्रिया में कभी कोई गोवंश बाहर नहीं गया।

7. बड़ी संख्या में गोवंशों के भागने की बात सही नहीं प्रतीत होती है। निरीक्षण के दौरान दबी जुबान से ग्रामवासियों के द्वारा शिकायत की गई कि आश्रय–स्थल के गोवंश दिन में बाहर चरने के लिए भेजे जाते हैं, जिस कारण ग्रामवासियों के खेतों में लगी फसल को नुकसान होता है। ये गोवंश शाम में आश्रय–स्थल में रहते हैं। आज निरीक्षण की जानकारी होने पर गोवंशों को आश्रय–स्थल पर ही रखा गया है। उपर्युक्त प्रस्तरों में वर्णित विसंगतियों के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीणों की यह शिकायत सही लगती हैं और यह परिलक्षित होता है कि जितनी संख्या में इस आश्रय–स्थल पर गोवंश हैं उससे बहुत अधिक संख्या दर्शाकर शासकीय धन प्राप्त किया जा रहा है। टिन–शेड, चरनी एवं चरही का आकार ग्रामीणों के आरोप को विशेष बल देते हैं।

8. निरीक्षण के दौरान गोवंश–आश्रय–स्थल में प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध नही थी।

9. ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के लिए कोई टीकाकरण पंजिका, निरीक्षण पंजिका, कैश–बुक, सहभागिता में दिए गए गोवंशो की सुपुर्दगी पंजिका व भरण–पोषण स्टॉक पंजिका जैसे अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा इस वित्तीय वर्ष के लिए कैश–बुक तैयार नहीं की गयी है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

10. **निष्कर्ष–** इस गोवंश आश्रय स्थल का रख–रखाव एवं प्रबन्धन संतोषजनक नहीं है। विशेषकर, पर्यावरण के दृष्टिकोण से गोबर, गोमूत्र एव दूषित जल के प्रदूषणमुक्त निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए। गोवंश की वास्तविक संख्या के अनुसार टिन–शेड, चरनी एवं चरही की व्यवस्था की जानी चाहिए। चूँकि आबादी इससे सटी हुई है, अतः आश्रय–स्थल की बाउण्ड्री की तरफ सघन वृक्षारोपण करके प्रदूषण के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि यह संभव न हो तो इस आश्रय–स्थल को आबादी से दूर स्थानान्तरित करने पर विचार किया जाना चाहिए। अभिलेखों के रख–रखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01

संलग्नक–02

संलग्नक–03

संलग्नक–04 (गोवंश स्टाक रजिस्टर)

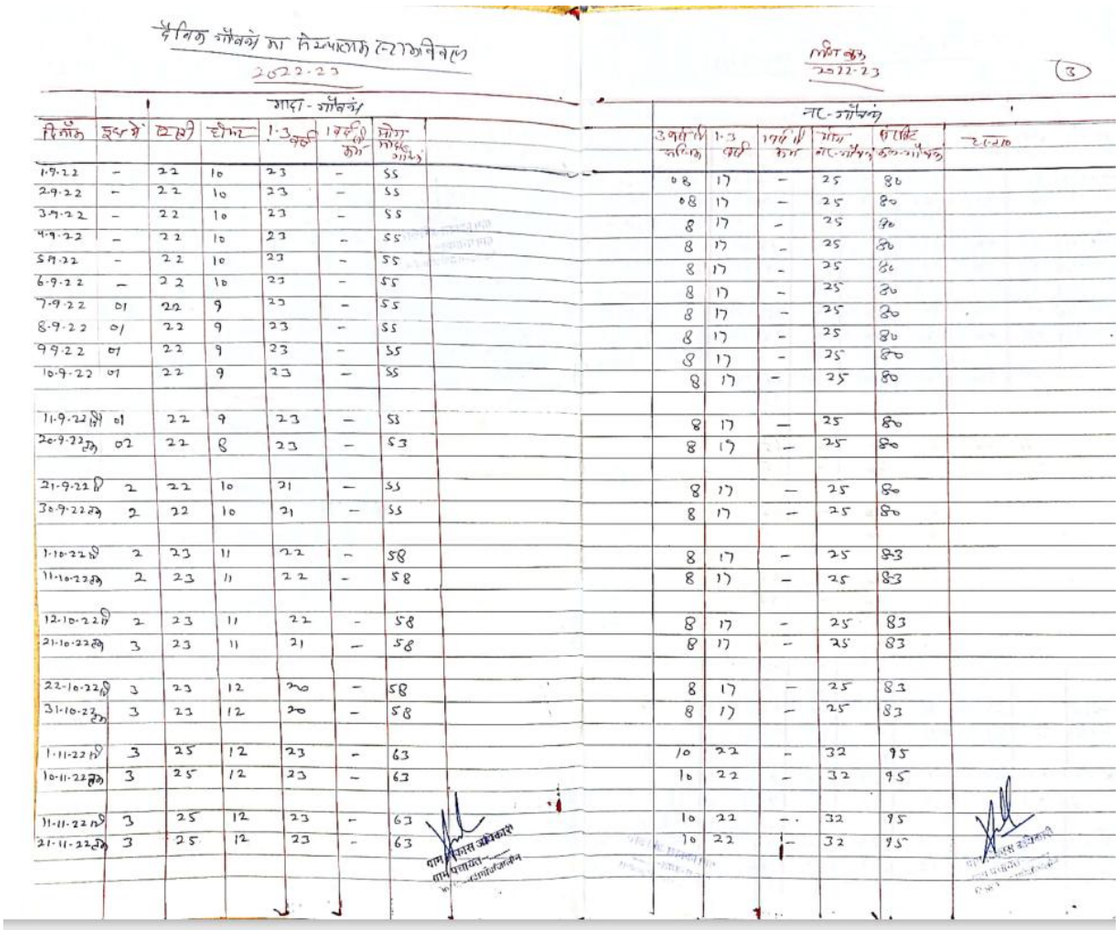

दैनिक गोवंश का विवरणात्मक [illegible]
2022-23

[illegible] 2022-23 (3)

	मादा-गोवंश						नर-गोवंश					
दिनांक	दूध में	[illegible]	[illegible]	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	योग मादा गोवंश	3 वर्ष से अधिक	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	योग नर-गोवंश	[illegible] कुल-गोवंश	हस्ताक्षर
1-9-22	–	22	10	23	–	55	08	17	–	25	80	
2-9-22	–	22	10	23	–	55	08	17	–	25	80	
3-9-22	–	22	10	23	–	55	8	17	–	25	80	
4-9-22	–	22	10	23	–	55	8	17	–	25	80	
5-9-22	–	22	10	23	–	55	8	17	–	25	80	
6-9-22	–	22	10	23	–	55	8	17	–	25	80	
7-9-22	01	22	9	23	–	55	8	17	–	25	80	
8-9-22	01	22	9	23	–	55	8	17	–	25	80	
9-9-22	01	22	9	23	–	55	8	17	–	25	80	
10-9-22	01	22	9	23	–	55	8	17	–	25	80	
11-9-22 से	01	22	9	23	–	53	8	17	–	25	80	
20-9-22 तक	02	22	8	23	–	53	8	17	–	25	80	
21-9-22 से	2	22	10	21	–	55	8	17	–	25	80	
30-9-22 तक	2	22	10	21	–	55	8	17	–	25	80	
1-10-22 से	2	23	11	22	–	58	8	17	–	25	83	
11-10-22 तक	2	23	11	22	–	58	8	17	–	25	83	
12-10-22 से	2	23	11	22	–	58	8	17	–	25	83	
21-10-22 तक	3	23	11	21	–	58	8	17	–	25	83	
22-10-22 से	3	23	12	20	–	58	8	17	–	25	83	
31-10-22 तक	3	23	12	20	–	58	8	17	–	25	83	
1-11-22 से	3	25	12	23	–	63	10	22	–	32	95	
10-11-22 तक	3	25	12	23	–	63	10	22	–	32	95	
11-11-22 से	3	25	12	23	–	63	10	22	–	32	95	
21-11-22 तक	3	25	12	23	–	63	10	22	–	32	95	

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत–

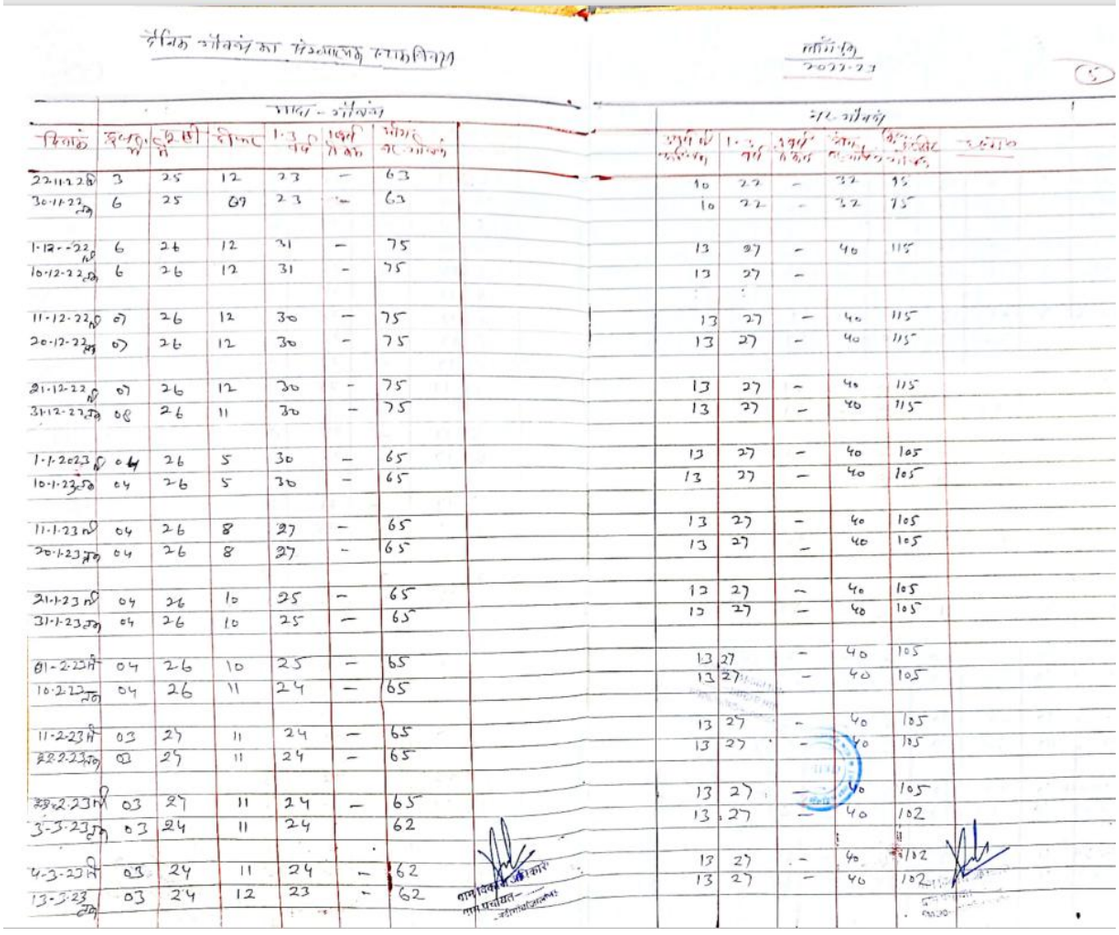

दैनिक गोवंश का विवरणात्मक [illegible]

[illegible] 2022-23 (5)

	मादा-गोवंश						नर-गोवंश					
दिनांक	दूध में	[illegible]	[illegible]	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	योग मादा गोवंश	3 वर्ष से अधिक	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	योग नर-गोवंश	[illegible] कुल गोवंश	हस्ताक्षर
22-11-22 से	3	25	12	23	–	63	10	22	–	32	95	
30-11-22 तक	6	25	07	23	–	63	10	22	–	32	95	
1-12-22 से	6	26	12	31	–	75	13	27	–	40	115	
10-12-22 तक	6	26	12	31	–	75	13	27	–			
11-12-22 से	07	26	12	30	–	75	13	27	–	40	115	
20-12-22 तक	07	26	12	30	–	75	13	27	–	40	115	
21-12-22 से	07	26	12	30	–	75	13	27	–	40	115	
31-12-22 तक	08	26	11	30	–	75	13	27	–	40	115	
1-1-2023 से	04	26	5	30	–	65	13	27	–	40	105	
10-1-23 तक	04	26	5	30	–	65	13	27	–	40	105	
11-1-23 से	04	26	8	27	–	65	13	27	–	40	105	
20-1-23 तक	04	26	8	27	–	65	13	27	–	40	105	
21-1-23 से	04	26	10	25	–	65	13	27	–	40	105	
31-1-23 तक	04	26	10	25	–	65	13	27	–	40	105	
01-2-23 से	04	26	10	25	–	65	13	27	–	40	105	
10-2-23 तक	04	26	11	24	–	65	13	27	–	40	105	
11-2-23 से	03	27	11	24	–	65	13	27	–	40	105	
22-2-23 तक	03	27	11	24	–	65	13	27	–	40	105	
23-2-23 से	03	27	11	24	–	65	13	27	–	40	105	
3-3-23 तक	03	24	11	24		62	13	27	–	40	102	
4-3-23 से	03	24	11	24	–	62	13	27	–	40	102	
13-3-23 तक	03	24	12	23	–	62	13	27	–	40	102	

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत–

दैनिक गोवंश का निरूपात्मक स्थान विवरण

[illegible] 2022-23 (2)

दिनांक	मादा गोवंश: दुधारू	बछिया	छोटी / गाभिन	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	मादा कुल गोवंश	नर गोवंश: 3 वर्ष से अधिक	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	योग नर गोवंश	कुल संरक्षित गोवंश	हस्ताक्षर
14.3.23	3	24	12	23	–	62	13	27	–	40	102	
23.3.23	3	24	12	23	–	62	13	27	–	40	102	
24.3.23	3	24	12	23	–	62	13	27	–	40	102	
31.3.23	3	24	13	22	–	62	13	27	–	40	102	
1.4.23	3	22	12	20	–	57	13	25	–	38	95	
15.4.23	3	22	12	20	–	57	13	25	–	38	95	
16.4.23	3	22	12	20	–	57	13	25	–	38	95	
28.4.23	3	22	12	20	–	57	13	25	–	38	95	
29.4.23	5	22	10	20	–	57	13	25	–	38	95	
10.5.23	5	22	10	20	–	57	13	25	–	38	95	
11.5.23	5	22	12	18	–	57	13	25	–	38	95	
22.5.23	7	22	10	18	–	57	13	25	–	38	95	
23.5.23	7	22	10	18	–	57	13	25	–	38	95	
4.6.23	8	22	9	18	–	57	14	24	–	38	95	
5.6.23	10	22	10	15	–	57	14	24	–	38	95	
20.6.23	10	22	10	15	–	57	14	24	–	38	95	
21.6.23	10	22	10	15	–	57	14	24	–	38	95	
30.6.23	10	22	10	15	–	57	14	24	–	38	95	
31.6.23	10	22	10	15	–	57	14	24	–	38	95	
10.7.23	10	22	10	15	–	57	15	23	–	38	95	
11.7.23	11	22	9	15	–	57	15	23	–	38	95	
20.7.23	11	22	9	15	–	57	15	23	–	38	95	

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ...... (stamp) — प्रधान (stamp)

दैनिक गोवंश का निरूपात्मक स्थान विवरण 2022-23

पुनपुरा (3)

दिनांक	मादा गोवंश: दुधारू	बछिया	छोटी / गाभिन	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	मादा कुल गोवंश	नर गोवंश: 3 वर्ष से अधिक	1-3 वर्ष	1 वर्ष से कम	योग नर गोवंश	कुल संरक्षित गोवंश	हस्ताक्षर
21.7.23	11	22	9	15	–	57	15	23	–	38	95	
31.7.23	11	22	9	15	–	57	15	23	–	38	95	
1.8.23	11	22	9	15	–	57	15	23	–	38	95	
10.8.23	11	22	10	14	–	57	15	23	–	38	95	
11.8.23	11	22	10	14	–	57	15	23	–	38	95	
19.8.23	11	22	10	14	–	57	15	23	–	38	95	
20.8.23	12	22	9	14	–	57	15	23	–	38	95	
31.8.23	12	22	9	14	–	57	15	23	–	38	95	
1.9.23	11	23	9	14	–	57	16	22	–	38	95	
10.9.23	11	23	9	14	–	57	16	22	–	38	95	
11.9.23	11	23	10	13	–	57	16	22	–	38	95	
18.9.23	11	23	10	13	–	57	16	22	–	38	95	
19.9.23	11	23	10	13	–	57	16	22	–	38	95	
25.9.23	11	23	10	13	–	57	16	22	–	38	95	

Annexure-40

नगर पालिका परिषद–कोंच, जनपद–जालौन स्थित स्थायी कान्हा गोशाला, कोंच की निरीक्षण आख्या

दिनांक–26.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद–जालौन, विकासखण्ड–कोंच के नगर पालिका परिषद–कोंच में स्थित कान्हा गोशाला स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1– श्रीमती प्रतिभा शाल्या, खण्ड विकास अधिकारी, कोंच
2– डॉ0 अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
3– श्री दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0)
4– श्री अरूण कुमार, ए0एस0ओ0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5– श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, कोंच
6– श्री पवन प्रकाश मौर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कोंच
7– डॉ0 देवेन्द्र कुशवाहा, पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कोंच
8– श्री सुनील कुमार, राजस्व निरीक्षक (प्रभारी, कान्हा गोशाला)
9–श्री भीमू, मुख्य गोपालक
10–श्री किशन, गोपालक
11–श्री गोलू, गोपालक
12–श्री कुलदीप, गोपालक
13–श्री धर्मेन्द्र, गोपालक
14–श्री कालिया, गोपालक
15–श्री गोविन्द सिंह, गोपालक
16–श्री अमर, गोपालक
17– श्री वीरेन्द्र, गोपालक
18– श्री महेश, गोपालक

1. यह कान्हा गोशाला वर्ष 2019 से संचालित होना सूचित किया गया है, जिसे स्थापित करने के लिये नगर पालिका परिषद, कोंच, जालौन से भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.40 हेक्टेयर है। यह कान्हा गोशाला स्थल चारों तरफ से पक्की चहरदीवारी से घेरा गया है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। वर्तमान में इस कान्हा गोशाला में 10 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 8500/– प्रतिमाह है। पूरे परिसर में साफ–सफाई है तथा पडंजा व खड़ंजायुक्त है। यह कान्हा गोशाला आबादीयुक्त इलाके में स्थित है तथा परिसर के बगल में राजकीय महिला महाविद्यालय है। इस गोशाला के आस–पास कोई अस्पताल व अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। इस कान्हा गोशाला में वर्तमान मे 74 नर, 174 मादा, 36 बछडे व 38 बछिया, कुल 322 गोवंशों का अभिलेखों में दर्ज होना बताया गया है। कोई भी दुधारू मादा गांवंश नही है और न ही कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन हेतु उपलब्ध कराए गए है। अधिशासी अधिकारी द्वारा मृत्यु पंजिका का रख–रखाव वर्ष 2019 से किया जा रहा है, जिसके अनुसार विगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 20 गोवंशों की मृत्यु व वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में 07 गोवंशों की मृत्यु (दिनांक 06.05.2023, 16.05.2023, 08.06.2023, 21.06.2023, 30.06.2023, 26.07.2023 व 09.09.2023) को होना बताया गया है, परन्तु इस संदर्भ में कोई पंचनामा प्रस्तुत नही किया गया, जिससे गोवंश की मृत्यु के तथ्य की सत्यता की पुष्टि की जा सके। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि उन्हे गोवंश के मृत्यु की कोई सूचना नही दी गयी तथा इसकी सूचना पशुधन प्रसार अधिकारी को है। पशुधन प्रसार अधिकारी को बुलाने पर उन्होने निरीक्षण स्थल पर आने से मना किया, जो कि सरकारी कार्य के प्रति व दायित्वों की अवहेलना है, जिससे यह स्वतः ही परिलक्षित है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में 70 गोवंशों की टैगिंग की गयी, परन्तु मौके पर कुछ गोवंशो में न तो टैगिंग और न ही कान में छेद पाया गया। टैगिंग पंजिका में टैगिंग करने की तिथि दर्ज नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि ये प्रविष्टियां अधूरी व त्रुटिपूर्ण है, यह तथ्यों को देखें

बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार की गयी है। टीकाकरण पंजिका के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.09.2022 को डी–वार्मिंग तथा दिनांक 09.09.2023 को एल0एस0डी0 टीकाकरण की गई है, परंतु इस संदर्भ में चिकित्सा पंजिका/टीकाकरण पंजिका प्रस्तुत नही की गई, जिससे स्थिति की पुष्टि की जा सके। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा टैगिंग पंजिका व टीकाकरण पंजिका मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, जिसमे गोवंशों का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां नियमानुसार अंकित हो।

3. इस कान्हा गोशाला में 02 बड़े टिन–शेड (प्रत्येक 50.20 मी0 x 7.62 मी0) हैं, जो पडंजायुक्त है। एक टिन–शेड चारो तरफ से खुला तथा दूसरा टिन–शेड एक तरफ से ढका एवं हिस्सों में बॅटा हुआ पाया गया। गोवंशों के खाने के लिये दोनों टिन–शेड के बीचो–बीच चरनी (प्रत्येक 45 मी0 x 0.91 मी0) स्थित है, जिससे गोवंशो द्वारा दोनो तरफ से आसानी से चारा खाया जा सकता है। टिन–शेड के बगल में मूत्र व अपशिष्ट जल निकासी की व्यवस्था उपलब्ध है और सोकपिट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंशो के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था है, परन्तु उसमे अन्य सामान भरा पाया गया। टीन–शेड तथा परिसर की साफ सफाई ठीक पाई गई। यदि परिसर एवं टिन–शेड के किनारे गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारित किया जाये, तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा। बताया गया कि गोवंशों को बरसात के समय सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त आच्छादित स्थान की व्यवस्था है। शीतकाल में बचाव के लिए तिरपाल लगवाई जाती है एवं गर्मी से बचाव के लिए हरी जाली लगवाई जाती है।
4. गोवंशों के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है तथा दो पक्की हौज (प्रत्येक 6.60 मी0 x 2.0 मी0) बनी हुई है। जल के निस्तारण के लिये नाली बनी है, जिससे जल एकत्रित नही होता है। अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि परिसर में गोवंशों को उचित अंतराल पर नहलाने की व्यवस्था उपलब्ध है।
5. बताया गया कि गोबर के निस्तारण हेतु 08 कम्पोस्ट पिट (प्रत्येक 4.57 मी0 x 3.04 मी0) बनाये गये हैं, जो कि गोशाला से लगभग 05 किमी दूर एम0आर0एफ0 सेन्टर के पास बने हैं। परिसर में एक उपले बनाने की मशीन उपलब्ध है, जो निरीक्षण से कुछ दिन पूर्व लाई गई है, परन्तु अभी संचालित नही है। गोशाला में वर्मीकम्पोस्टिंग तथा बायोगैस संयंत्र की कोई व्यवस्था नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक– 02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। गोशाला की आय वृद्वि के लिए कम्पोस्टिंग के लिये गड्ढे बनाकर उसमें गोबर एवं मूत्र की नाली जोड़कर कम्पोस्ट खाद तैयार की जा सकती है, किन्तु इस दिशा में कोई प्रयास किया जाना नही दिख रहा है।
6. बताया गया कि इस कान्हा गोशाला में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए पशुओं के भरण–पोषण की व्यवस्था है। निरीक्षण के समय अधिकांश गोवंश स्वस्थ्य दिखे, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, उन्हें समुचित आहार दिया जा रहा है। गोवंशो को देखकर प्रतीत होता है कि उनकी देखभाल व रख–रखाव व्यवस्थित ढंग से की जा रही है। इस कान्हा गोशाला में एक भूसा भण्डारण कक्ष (प्रत्येक 15 मी0 x 11.30 मी0) है, जिसमे उपस्थित भूसे की गुणवत्ता ठीक, परन्तु गोवंश के अनुसार पर्याप्त नही है। अधिशासी अधिकारी द्वारा भूसा पंजिका में प्रविश्टियां माह सितम्बर, 2021 से दर्ज की जा रही है, जिसके अनुसार गोवंशों को 13 कुंतल भूसा प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। बताया गया कि शासन से रू0 14,38,000/– तथा बोर्ड से रू0 12,09,324/– की धनराशि प्राप्त हुई है। नैपियर घास की बुआई के संबंध में सूचित नही किया गया और न ही निरीक्षण के समय आस–पास कहीं भी नैपियर घास पायी गई। इस गोशाला में एक चारा काटने की मशीन व ढुलाई के लिए ठेले की व्यवस्था उपलब्ध है। परिसर में गोपालको के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था भी पाई गई।
7. कैश बुक पंजिका का रख–रखाव वर्ष 2018 से किया जा रहा है, जिसमे दर्ज की गई प्रविष्टियां व्यवस्थित पायी गई।
8. निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रविष्टियां सुझाव सहित माह दिसम्बर, 2022 से दर्ज है तथा अंतिम प्रविष्टि दिनांक–21.09.2023 की है, ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इस गोशाला का प्रबंधन उचित ढंग से किया जा रहा है। निरीक्षण पंजिका गोपालकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं कि उनका पालन हो रहा है या नहीं। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक है, अन्यथा निरीक्षण का आशय ही विफल हो जायेगा।
9. बताया गया कि उक्त परिसर के अन्दर 55 वृक्षारोपण करना बताया गया है, परंतु निरीक्षण के समय सिर्फ 04 ट्री–गार्ड लगे पाए गए। परिसर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारी द्वारा

वृक्षारोपण के लिए कोई प्रयास नही किया जाता है। यद्यपि इस कान्हा गोशाला में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जिससे गोवंशों को गर्मी व धूप से बचाया जा सकता है। परिसर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था पायी गई। अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस गोशाला प्रांगण को पीछे स्थित खाली जमीन लेकर बढाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। अधिशासी अधिकारी द्वारा परिसर की स्थिति को सुधारकर उचित स्थान पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जो गोवशों के लिए एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी होगा। परिसर में रोशनी की व्यवस्था पाई गई। इस गोशाला में उपयुक्त स्थानो पर 08 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे पाए गये, जिसे परिसर में स्थित कंट्रोल रूम से नियंत्रित किया जाता है।

10. अन्ततः कमेटी के विचार में इस कान्हा गोशाला का रखरखाव व प्रबन्धन व्यवस्थित व अस्थायी/स्थायी गोवंश–आश्रय–स्थलों की तुलना में संतोषजनक है। इस गोशाला में कुछ सुधार करके इसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

स्थायी कान्हा गोशाला, कोंच, जालौन

स्थायी कान्हा गोशाला, कोंच, जालौन

स्थायी कान्हा गोशाला, कोंच, जालौन